चअध्याय–1

नाम, स्थिति, संरचना एवं विस्तार

(Name, Location, Constitution and the extent)

1.1 पार्वती और अरगा झीलें, धार्मिक नगरी अयोध्या से 22 किमी0 की दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये गोण्डा जनपद की तरबगंज तहसील के अर्न्तगत ग्राम चंदापुर, बहादुरा, कोठा, लक्ष्मनपुर, गौरिया, मधवापुर, तिरवड़िया, हरिहरपुर ग्रामों में पड़ती है। दोनों झीलों के बीच का निकटतम फासला 1.5 किमी0 है। पार्वती झील गोखुर के आकार की है। चंदापुर ग्राम झील से तीन ओर से घिरा है। झील की बाहरी सीमा पर कई जगह शिव पार्वती के प्राचीन मंदिर है, झील की पूर्वी बाहरी सीमा पर बसे पार्वती ग्राम में पार्वती जी का प्राचीन मंदिर है। अरगा का नाम शिवजी के अर्घा का अपभ्रंश है। दोनों झीले $26^0 54' 41''$ से $26^0 56' 45''$ उत्तरी अंक्षाश एंव $82^0 6' 47''$ से $82^0 10' 12''$ पूर्व देशान्तर के मध्य स्थित है। वन्य जीवों एंव इनके पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन और विकास के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पारिस्थितिकीय, प्राणि जाति, वनस्पतीय, भूआकृतित्व, प्राकृतिक अैार प्राणितत्वीय महत्व को देखते हुए ग्राम चंदापुर, बहादुरा, कोठा, लक्ष्मनपुर, गौरिया, मधवापुर, तिरवड़िया, हरिहरपुर ग्रामों में स्थित पार्वती तथा अरगा झीलों का कुल 1084.47 हे0 क्षेत्र वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम' 1972 के अन्तर्गत राजकीय अधिसूचना संख्या 1021/14–3–14/90 दिनांक 23.05.1990 द्वारा पार्वती–अरगा पक्षी विहार, गोण्डा घोषित किया गया। पार्वती झील – गुलरिहा नाला से मिली हुई है, जो टेढ़ी नदी के साथ मिलकर सरयू नदी में मिलती है।

यह दोनों गोखुर आकार की झीलें सरयू नदी के अवशेष हैं, जो नदी धारा की दिशा परिवर्तन के कारण बनी हैं।

1.2 सम्पर्क एंव पहुंच (**Approach and access**)–

पार्वती अरगा पक्षी विहार सड़क मार्ग से निकटवर्ती स्थलों से पहुॅचा जा सकता है। समीपवर्ती महत्वपूर्ण स्थलों की दूरी तालिका में दर्शायी गयी है–

क्रम सं0	शहर का नाम	पार्वती अरगा पक्षी विहार से दूरी (किमी0 में)
1	अयोध्या	22.0
2	फैजाबाद	30.0
3	गोण्डा	35.0
4	बलरामपुर	75.0
5	बहराइच	98.0
6	लखनऊ	155.0

गोण्डा व फैजाबाद रेल स्टेशनों से, सड़क मार्ग द्वारा नवाबगंज–रघुराजनगर होते हुये लगभग 23 किमी0 चलकर झील तक पहुॅचा जा सकता है।

1.3 महत्वपूर्ण विवरण (**Statement of Significance**)–

प्रदेश की जलवायु एंव भौगोलिक विविधता के कारण यहॉ अनेक प्राकृतिक झीलें है, जिनमें स्थानीय पक्षियों के झुण्ड वर्ष पर्यन्त तथा शीतकाल में प्रवासी पक्षियों को मनमोहक झुण्ड़ों में देखा जा सकता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने में पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वेट लैण्ड मैनेजमेंट के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विस्तृत सर्वेक्षण कराया एंव महत्वपूर्ण झीलें चिन्हित की गयी, जिनमें से 12 निम्नलिखित झीलें पक्षी विहार घोषित की गयी है– नवाबगंज (उन्नाव), समसपुर (रायबरेली), साण्डी (हरदोई), समान (मैनपुरी), पार्वतीअरगा (गोण्डा), विजयसागर (हमीरपुर), लाख बहोशी (कन्नौज), बखिरा (बस्ती), ओखला (गाजियाबाद), पटना (एटा), सुरहाताल (बलिया), सूर सरोवर (आगरा)।

इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्वती–अरगा पक्षी विहार, तराई क्षेत्र के गांगेय मैदानी भाग में स्थित है। पार्वती अरगा गोखुर (चापाकार) झीलें है जो पुरानी सरयू नदी के अवशेष के रूप में विद्यमान है। यह पक्षी विहार गोण्डा जनपद का एकमात्र वन्य जीव विहार क्षेत्र है। जलीय जीवों और उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने में घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित यह झीलें 200 प्रजातियों का सुरक्षित प्राकृतिक वास है, जिनमें लगभग 50 प्रजातियॉ प्रवासी पक्षियों की हैं।

स्थानीय पक्षियों (**Local Birds**) में पनडुब्बी/डार्टर (***Anhinga melanogastet***), पाण्डहेरोन (***Ardeola grayii***), "राज्य पक्षी" सारस (***Grus antigone***), स्टार्क (***Mycteria Leucocephala***) पनकौवा (***Phalacrocorax fuscicolliS***) आदि प्रमुख है।

प्रवासी पक्षियों (**Migratory Birds**) में बार हेडेड गूज (***Anser indicus***), नीलसर (***Anas platyrhyncha***), पिनटेल (***Anas acuta***), लालसर (***Rhodonessa rufina***), रूडी शेलडक (***Tadorna ferruginea***) आदि प्रमुख हैं।

मत्स्य वर्ग (**Fishes**) में नैन (***Cirrhina mrigla***), मांगुर (***Glarias magur***), रोहू (***Labeo rohita***), टेंगर (***Mystus oslseohagrus***), पाढ़िन (***Wallago attu***), मोय मुख्य रूप से पायी जाती है।

सरीसृप वर्ग (**Reptiles**) में करैंत (***Bungarus caeruleus***), नाग (***Naja naja***), धामन (***Ptyes mucosus***) प्रमुख हैं। इसमें फ्रेश वाटर टरटिल भी आते है।

एम्फीबियनस (**Amphibians**) में राना टिग्रीना मेढ़क मुख्य हैं।

(वनस्पति एवं वन्य जीवों की प्रजातियों का विवरण परिशिष्ट संख्या 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10 में दी गयी है)

झीलों के किनारे स्थित शिव तथा पार्वती मंदिर धार्मिक महत्व के साथ–साथ पर्यटन के लिए रमणीक स्थल हैं। प्रमुख स्थानीय वनस्पतियों में कमल, तिन्नी, शैवाल, हाथी घास, कांस, मूंज, आम, महुआ, नीम आदि हैं। प्राचीन नगरी अयोध्या के नजदीक होने के कारण पर्यटन की असीम सम्भावनाएं हैं।

अध्याय – 2

संरक्षित क्षेत्र का विवरण (**Description of the area**)

2.1 सीमायें (**Boundary**) – पार्वती अरगा पक्षी विहार की सीमायें निम्न है–

(अ) पार्वती झील की सीमायें

उत्तर– पार्वती झील से मिलती हुई राजस्व ग्राम वजीरगंज, पूरे दाहू और कोठा की दक्षिण बाहरी सीमा।

दक्षिण– पार्वती झील से मिलती हुई राजस्व ग्राम हरिहरपुर, सोभागपुर और परसापुर की उत्तरी बाहरी सीमा।

पूर्व– पार्वती झाील से मिलती हुई राजस्व ग्राम बहादुरा और पार्वती की पश्चिमी बाहरी सीमा।

पश्चिम– राजस्व ग्राम चंदापुर की उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिण सीमा तथा वजीरगंज से प्रारम्भ होने वाली पी0 डब्ल्यू0 डी0 रोड।

(ब) अरगा झील की सीमायें

उत्तर– अरगा झील से मिलती हुई राजस्व ग्राम तिरवडिया और लक्ष्मनपुर की दक्षिण बाहरी सीमा।

दक्षिण– अरगा झील से मिलती हुई राजस्व ग्राम बहादुरा की उत्तरी बाहरी सीमा।

पूर्व– अरगा झील से मिलती हुई राजस्व ग्राम गौरिया और मधवापुर की पश्चिमी बाहरी सीमा ।

पश्चिम– अरगा झील से मिलती हुई राजस्व ग्राम कोठा की पूर्वी बाहरी सीमायें।

बन्दोबस्ती कार्यवाही अभी पूर्ण नही हुई है। सीमा का विस्तृत विवरण वन अनुभाग–3 की विज्ञप्ति संख्या 1021/14–3–14/90 दिनॉक 23 मई 1990 में भी उल्लिखित है।

2.2– भू–विज्ञान, शैल एवं मृदा (**Geology, Rock & Soil**)–

क्षेत्र की मृदा बलुई तथा बलुई दोमट है। झीलों के आस पास की भूमि मटियार व दोमट है। मृदा गांगेय मैदान की भूमि प्रकार की है जो सरयू नदी प्रणाली द्वारा बहाकर लायी गयी मिट्टी से बना है। भूमि में खुदाई पर 1–2 मीटर के बाद बालू ही मिलता है। चट्टानों का कोई अंश नही है। झीलों के अंदर की मिट्टी काफी ह्यूमस युक्त है, जो जलीय वनस्पतियों के सड़ने से हुई है।

2.3 भू – प्रदेश (**Terrain**)–

पार्वती झील का जल निकास दक्षिण पश्चिम की ओर गुलरिया नाले से होकर टेढ़ी नदी में होता है। अरगा झील का जल निकास ग्राम गौरिया के निकट झील के पूरब में एक नाले से होता है। पार्वती अरगा झील काफी गहरी हैं। पूरे वर्ष भर पर्याप्त जल रहता है। गहरे पानी की इन झीलों की निचली सतह की जल धारायें सरयू नदी के जल से मिली होने के कारण जल सार अधिक रहता है।

2.4 जलवायु (**Climate**)–

पार्वती अरगा पक्षी विहार की जलवायु गांगेय मैदान की तरह की है, तदनुसार ॠतुऐं जाड़ा, गर्मी व वर्षा है। वर्षा औसतन 1700 मिमी0 है, जो जुलाई, अगस्त व सितम्बर माह में होती है। मई, जून वर्ष के सर्वाधिक गर्म महीनें हैं। दिसम्बर – जनवरी माह में कभी–कभी पाला पड़ता है। ग्रीष्म ॠतु में गर्म हवायें चलती हैं। ग्रीष्म ॠतु में अधिकतम तापमान 43^0 से0 तथा शीत ॠतु में न्यूनतम तापमान 4^0 से0 तक हो जाता है।

2.4.1 वर्षा, विन्यास एवं वितरण (**Rain, Rainfall data & distribution**) –

संरक्षित क्षेत्र में मानसून की वर्षा प्रायः जून के तीसरे सप्ताह से होती है जो माह सितम्बर तक रहती है। शीतकालीन वर्षा भी प्रायः दिसम्बर, जनवरी व फरवरी में होती है। वर्षा के औसत आंकड़े तहसील केद्रों के आंकड़ो के आधार पर निम्न सारणी में दिये गये है।

2.4.1 सारणी औसत वर्षा (मिमी0) **(Average rainfall)**

माह	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
जनवरी	11.71	–	–	6.13	–	–	1.40	–	–	–
फरवरी	–	–	–	–	–	–	–	3.33	–	17.05
मार्च	–	–	–	–	–	–	–	2.40	9.17	15.03
अप्रेल	11.80	–	7.00	–	–	–	4.66	–	–	21.16
मई	21.8	9.07	9.10	8.18	54.00	–	24.06	–	36.22	87.27
जून	30.30	49.70	251.63	187.81	40.14	121.79	198.04	95.90	245.23	121.85
जुलाई	335.83	202.76	277.76	163.19	123.29	227.12	287.08	349.06	204.60	411.11
अगस्त	409.87	368.64	223.46	154.49	91.91	285.83	137.96	512.03	111.63	259.53
सितम्बर	153.40	114.77	241.61	158.50	–	287.47	109.37	186.18	26.23	109.50
अक्लूबर	11.31	91.01	–	127.71	–	–	42.25	46.00	–	22.46
नवम्बर	12.60	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दिसम्बर	–	1.30	–	–	7.10	–	–	–	2.33	–

2.4.2 तापमान (**Temperature**) –

वर्षवार अधिकतम व न्यूनतम तापमान सारणी निम्न प्रकार से है –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तपमान का प्रकार	वर्ष के तापमान (सेल्सियस)											
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
अधिकतम	45.6	44.6	43.8	43.5	43.6	44.1	45.0	43.0	43.7	45.2	44.2	–
न्यूनतम	5.5	3.8	3.4	3.8	3.8	3.6	2.0	3.5	2.4	3.1	5.3	–

2.4.3 पाला (**Frost**) –

पक्षी विहार क्षेत्र में साधारणतया पाले का प्रकोप नही होता है। परन्तु जनवरी के महीने में झीलों के ऊपर पाले का प्रभाव पड़ता है।

2.4.4 हवा (**Wind**) –

ग्रीष्म ऋतु में लू (गरम हवाएं) मई व जून में चलती है। झीलों के आस–पास वृक्ष नही होने के कारण हवा का दबाव समीपवर्ती स्थानों की तुलना में अधिक रहता है।

2.5 जल स्रोत (**Water resources**) –

पक्षी विहार की दोनों झीलों में वर्ष भर पानी रहता है, अरगा झील में मई, जून के माह में भी 5–6 मीटर पानी रहता है। पार्वती झील का कुछ भाग गर्मी में सूख जाता है। झीलों का स्रोत स्थानीय वर्षा जल है, क्षेत्र के छोटे–छोटे नालों से भी झील में पानी आता है।

2.6 जीव भौगोलिक वर्गीकरण (**Geographical Classification**) –

पार्वती अरगा पक्षी विहार गांगेय–जलोढ़–मैदान क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

2.7 पादप जगत (**Flora**) –

पार्वती अरगा पक्षी विहार में पादप जगत का सर्वेक्षण कार्य स्थानीय वनाधिकारियों के द्वारा किया गया। सर्वेक्षण के उपरांत पादप प्रजातियों को वर्गीकरण के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है।

पादप जगत की प्रमुख प्रजातियां (**Main Species of Flora**) –

बीजरहित (**Seedless Plants**)

अ– पुष्पीय पादप (***Flowering Plant***)– जलीय शैवाल (***Aquatic algae***)– एनावीना, एथोरोस्पिरा, माइक्रोसाइराइटस, ओसिल टोरियो फोरमीडिसम, क्लेरोला कोरोकोकस, हाइडोडिकटियान निटिला, पेडिया स्ट्म, सिनेडिसमस, स्पाइरोसावरा, जाइन्गनेमा, साइक्लोटेला, नाविकुला, निटेजकिना, सिनेड़ा, जलीय कवक, एकलिय, एफनोमाइसिस, पाइथियम, ढफानिडीनेटम, स्प्रैलिगानिया,

एसपरजिलियस, प्लाबोयस, एस्परजियस पायूमिगेटस, एलपरजिलियस नाइजर, म्यूकोरा, क्यूसारियन, जलीय टेरिडोफाइटा मासिलिया, क्वाडिफोलियेटा, एजोला पिनाटा,

आवृत बीजी पादप–

जलीय एवं दलदलीय पादप लिमनोफाइटान ओवटसीफोलियस, सीटोफाइलम, डीमरनन, आइपोमिया फेसटूलोसा, हाइड्लिा वर्टीसेलाटा, वैलिसनेरिया स्पेनेरिस, निमफिया स्टिलाटा।

स्थलीय पादप–

दूब, मूल, कांस, बबूल, ढाक, नीम, बकायन, खैर, शीशम, गूलर, महुआ आदि है।

2.8 प्राणि जगत (**Fauna**) –

पार्वती अरगा पक्षी विहार के प्राणि जगत की प्रजातियों के वर्गीकरण के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है।

प्राणि जगत की प्रमुख प्रजातियां–

अकेशरूकीय जीव – कोलपडियम, युगलीना, पैरामीशियम, बर्टीसेला, एनुरिया, फिलिनिया, रोटिफरनेप्यूनिस, रैब्डोलेइमस, हिरूडिनेरिया (जोंक), फेरेटिया (केंचुआ), टयूबीफैक्स, एनोफिलस (मच्छर), एपिस इंडिका (मधुमक्खी), कैन्सर (केकड़ा), साइक्लोपस, साइप्रिस, डेलफनिया, होगन प्लाईज, यूटरमस, कैक्रोबानथियम, लैमारी (झींगा), नेपा रोबस्टरा (बिच्छू), एनोडोन्टा गाइरूल्स, हिलिक्स लाइमनिया, मेलेनाइडस, प्लेनोरविस पाइला (घोंघा), विविपेरा वेंगालेनसिस, विविपेरा क्रेसा, 'मत्स्य वर्ग' चन्ना पक्टैटम (सौर), चेला (डिडिला), सिटिनस (नैन), क्लैरियस (भाकुर), क्यूडीसिया (सूया), हेटेरेरूटस (सिंधी), लैबियों रोहिटा (रोहू), मैस्टसेर्नेविलस लार्मिटस (बाम) मिस्टस सिघोला (टेंगर), नैरोप्टैरस (पतरा), फुन्टियस टिकटा (सिंधरी)

उभयचर वर्ग (**Amphibians**)–

मैलेनोस्टिक्टस (टोड), राना टिक्नोवारी, राना टिग्रीना

सरीसृप वर्ग (**Reptiles**)–

कछुआ टैक्टम (कछुआ), ऐपिडेरिटिस मैगोंटिक्स, एस्पिडेरिटिस हयूरम, वारानस वैगलेन्सस (गोह), कैनोटिस वर्सीकेलर (गिरगिट), हैमिडैक्टिलस प्लैविरीडियस (छिपकली), वगैरस सैरूलियस (करैंत), टाइस म्यूकोसस (धामन), नाजा नाजा (कोबरा), जैनौक्रोपिस पिस्केटर (पनिहा सॉप)

स्तनधारी वर्ग (**Mammals**)–

विलाव, नेवला, गीदड़, भेडिया, लोमड़ी, बिज्जू, चीतल, गिलहरी, चूहा, खरगोश, चमगादड़, वनरोज।

पक्षी वर्ग (**Birds**)–

पनडुब्बी, डुबडुबी, जल कौआ, अनजन, बगुला, नरी बगुला, अंधा बगुला, गाय बगुला, छोटा बगुला, करछिया बगुला, जांघिल, घोंघिल, लगलग, लोहा सारस, सारस क्रेन, किंग फिशर, सुरखाव, सीखपर, छोटी मुरबागी, छोटा लालसर, अवलक, गिररी चील, डाइक, जल मुर्गी, कैमा, टिकरी, जलमोर, पनकौवा, कबूतर, हरियल, लाइवर तोता, हीरामन, कोयल, घुघ्घु, चुगद, उल्लू, नीलकंठ, हुदहुद, कठफोड़वा, कामन मैना, पहाड़ी मैना, जंगली कौआ, डोम कौवा, बुलबुल, गौरैया, बया, खंजर, आदि।

(उपरोक्त वर्णित पादप (**Flora**) एवं जन्तु जगत (**Fauna**) का विवरण अंग्रेजी, वैज्ञानिक नाम परिशिष्ट क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10 में अंकित है)

2.9 संरक्षित क्षेत्र के अंदर व बाहर के ग्राम– स्थानीय निवासियों का वनों से सबंध– संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध में योगदान–

संरक्षित क्षेत्र के अंदर कोई गॉव नही है। पार्वती झील ने चंदापुर गॉव को जो काफी बड़ा गॉव है तथा कई पुरवों (हेलमेट) में बसा हुआ है, को तीन ओर से घेर रखा है। इसी प्रकार अरगा झील ने ग्राम भितरी (कोठा) को तीन ओर से घेरा हुआ है। पार्वती झील के बाहरी सीमा पर वजीरगंज, पूरे, डाढ़ू, बहादुरा, पार्वती,

हरिहरपुर, सोहागपुर तथा परसापुर ग्राम बसे हैं। अरगा झील के बाहरी ओर गौरिया, लक्ष्मनपुर, मधवापुर, तिरवड़िया, तथा कोठा ग्राम हैं। इन ग्रामों में मछुआ समुदाय के लोगों की बस्ती है। झील पार भी लोगों की खेती–बाड़ी है। ग्रामों में पर्याप्त संख्या में छोटी नावें है, जिससे स्थानीय लोग अपने कार्य हेतु झील को पार करते रहते है। झीलों के किनारे की भूमि ग्रामवासियों के द्वारा पशु चारागाह के रूप में इस्तेमाल की जाती है।

2.10 संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक एवं निजी संस्थान–

संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी निजी एवं सार्वजनिक संस्थान नहीं है। पार्वती झील के किनारे मत्स्य विभाग का एक आवासीय परिसर है, जो वर्तमान समय में परित्यक्त स्थिति में है। इनको वन्य जीव संरक्षण संगठन को हस्तांतरित करवाने की कार्यवाही चल रही है।

अध्याय– 3

प्रबन्ध का इतिहास एवं वर्तमान प्रक्रियायें

(**Management History and present practices**)

3.1 जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 (एक्ट 1 सन् 1951) की धारा 117 के अधीन राजस्व (ए) विभाग संख्या 5436/1 ए 1526–1943 दिनॉक लखनऊ अगस्त 11, 1953 द्वारा सभी टैंक, पाण्ड्स, फिशरीज, तथा वाटर चैनल जो पहले राज्य सरकार में निहित हुए थे, को शेडयूल में दिये लिस्ट के टैंक, पाण्ड्स, वाटर चैनल को छोड़कर सम्बंधित ग्राम समाज में गजट के प्रकाशन की तिथि से निहित किया गया।

शेडयूल के लिस्ट एक में गोण्डा जनपद की तरबगंज तहसील में अरगा तथा पार्वती जलाशयों को ग्राम सभा में निहित नहीं किया गया तथा इसका प्रबंध मत्स्य विभाग को सौंपा गया। मत्स्य विभाग द्वारा इनमें मत्स्य सम्बन्धी कार्यकलाप सन् 1953 में किया। सन् 1990 में पक्षी विहार घोषित होने के बाद वन्य जीव संरक्षण संगठन के एक रेंज अधिकारी तथा दो वन्य जीव रक्षक व एक नाविक की नियुक्ति हुई तथा वर्ष 1992–93 में झीलों की जलकुम्भी हटाने का कार्य किया गया, पर मत्स्य विभाग ने हस्तानांतरण नही किया। कई वर्षो तक दोहरा नियंत्रण चलता रहा। पार्वती एवं अरगा झीलें, निकटवर्ती फैजाबाद, गोण्डा तथा बस्ती जनपदों में मछली के लिए मशहूर रही है। आस–पास के लोग जाड़े की ऋतुओं में पक्षियों के शिकार के लिए आते रहें है। मछलियों का व्यापारिक दोहन किया जाता रहा है।

पार्वती अरगा पक्षी विहार, गोण्डा की प्रथम प्रबन्ध योजना (वर्ष 1998–99 से 2007–08 तक) श्री आर0आर0 गौतम, वन्य जीव प्रतिपालक, गोण्डा द्वारा तैयार की गयी।

3.2 प्रकाष्ठ बांस एवं जलौनी का उत्पादन–

संरक्षित क्षेत्र में कोई प्रकाष्ठ, बांस एवं जलौनी नहीं है।

3.2.1 वनवर्धनिक पद्वतियां'–

संरक्षित क्षेत्र पूर्णतया वृक्षविहीन है। अतः वर्तमान में वन वर्धनिक पद्वतियों के प्रयोग की आवश्यकता नही रही है।

3.2.2 प्रकाष्ठ एवं जलौनी उत्पादन

जलमग्न क्षेत्र है। प्रकाष्ठ एवं जलौनी उत्पादन विगत वर्षो का रिक्त है।

3.2.3 गैर प्रकाष्ठ वन उत्पादन एकत्रीकरण

पक्षी विहार क्षेत्र में शिकारमाही का ठेका मत्स्य विभाग द्वारा पहले होता रहा है। उत्पादन के कोई आंकडे उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में ऐसा उत्पाद एकत्रीकरण नही किया जाता है।

3.3 वन भूमि पट्‌टा सहित अन्य क्रियाकलाप –

संरक्षित क्षेत्रों में बन्दोबस्ती कार्यवाही अभी चल रही है। विभाग द्वारा किसी प्रकार का पट्‌टा संरक्षित क्षेत्र में किसी भी क्रियाकलाप हेतु नहीं दिया गया है।

3.4 अवैध गतिविधियॉ –

3.4.1 मछली का शिकार –

संरक्षित क्षेत्र में अवैध शिकार, मछली की शिकारमाही या अवैध वन उत्पादन का निकासी कार्य व्यापारिक या संगठित रुप से नहीं हो रहा है। छिटपुट रुप से पक्षियों के शिकार की आंशका बनी रहती हैं। मछलियों के अवैध शिकार की आशंका स्थानीय झीलों के तट पर बसे मछुआ समुदाय के लोग, जिनमें औरतें व बच्चे तक शामिल हैं, से रहती है। जन सहयोग प्राप्त करने के उद्‌देश्य से ही इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही नही की गयी।

3.4.2 अवैध पातन –

इस संरक्षित क्षेत्र की भूमि पर वृक्ष प्रजातियॉ नही है।

3.4.3 अवैध गैर प्रकाष्ठ उत्पादन निष्कासन –

संरक्षित क्षेत्र में बन्दोबस्ती कार्यवाही अभी चल रही है। झीलों के उथले भाग में कुछ बड़े कास्तकारों द्वारा अतिक्रमण करके गन्ना बोया जाता रहा है। र्वतमान में कोई अतिक्रमण नही है। आस–पास के लोग यदा–कदा कमल के पत्ते, फल, कमल गट्‌टा निकालते रहते है जो वे बहुत पहले से लगातार करते आये है। वर्तमान में इस पर नियन्त्रण किया जा रहा है।

3.4.4 अतिक्रमण –

सीमांकन तथा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26ए की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है।

3.5 पशुधन चराई –

संरक्षित क्षेत्र के आस–पास ग्रामों के निवासियों के पशुओं की चराई का स्थान झील के किनारे की भूमि रही है। वर्तमान में इसे पूर्ण रूप से बन्द करा दिया है।

3.6 वन अग्नि –

संरक्षित क्षेत्र में वन अग्नि की कोई विशेष समस्या नही रही है। समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से झीलों के किनारों की वनस्पतियों को अग्नि से सम्भावित क्षति की आशंका रहती है।

3.7 पारिस्थितिकीय पर्यटन – जागरूकता विकास **(Eco Tourism)** –

पार्वती अरगा पक्षी विहार फैजाबाद, अयोध्या तथा मनकापुर आई0 टी0 आई0 फैक्टरी के निकट होने से पर्यटक ग्रामीण, कर्मचारी, अधिकारी व उनके परिवार अक्सर आते है। झीलों के किनारे मन्दिरों पर अलग–अलग समय पर वर्ष भर मेले भी लगते हैं। यहॉ पर पारिस्थिकीय पर्यटन विकास –जागरूकता विकास की असीम सम्भावनायें हैं। भगवान राम की ऐतिहासिक नगरी अयोध्या, जहॉ वर्ष पर्यन्त देशी व विदेशी पर्यटक (नागरिक) आते रहते हैं, के निकट होने के कारण भी यह झीलें प्रचार व प्रसार द्वारा आर्कषण का केन्द्र हो सकती है।

आगन्तुकों को व्याख्यान केन्द्र व झीलों के किनारे अनुभवी वन अधिकारी/वनकर्मियों द्वारा स्थानीय पक्षियों, प्रवासी पक्षियों, जल में पायी जाने वाली वनस्पतियों व जीव–जन्तुओं की महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ–साथ झीलों की पारिस्थिकीय व पर्यावरण को वर्तमान निरन्तर बढ़ते हुए जैविक दबाव व प्रदूषण से सुरक्षित रखने सम्बन्धित जानकारी दिया जाना आवश्यक होगा।

3.8 अनुसंधान एवं मूल्याकंन **(Research, Monitoring & Evaluation)** –

इस पक्षी विहार में अभी तक कोई अनुसंधान एवं मूल्याकंन का कार्य नही किया गया है। विभिन्न पक्षी प्रजातियों के आवागमन, स्वभाव, जलीय वनस्पति प्रजातियों की पहचान, वर्षा के बाद

निकटवर्ती कृषि भूमि से घुलकर आने वाले रसायन उर्वरकों व विभिन्न कीटनाशकों से सम्भावित जल प्रदूषण सम्बन्धित विविध जिज्ञासाओं के निवारण के लिए परिक्षणो अनुसंधान एवं मूल्याकंन की आवश्यकता है। वर्ष 2007 में दोनों झीलों के जल की गुणवत्ता का परीक्षण वेट लैण्ड हाइड्रोलाजिस्ट से कराया गया। परिशिष्ट 26 में विस्तृत सूचना दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र में जलीय पादप प्रजातियो में प्रगति, स्थानीय एवं बाहर से आने वाले पक्षियों की संख्या एवं उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी अभिलेखों का रखरखाव एवं मूल्यांकन किया जाएगा।

3.9 प्रशिक्षण (Training)–

संरक्षित क्षेत्र में तैनात विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी पद के अनुसार वानिकी कार्यो में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। पक्षियों की पहचान, वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्ध तथा पर्यटन विकास (जागरूकता विकास) हेतु एवं Fauna and Flora तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों के सम्बन्ध में कर्मचारियों में विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।

3.10 वन्य जीव संरक्षण रणनीति एवं क्रमिक विकास –

(अ) प्राचीन काल –

प्राचीन भारत में वन्य जीवन संरक्षण का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना कि मानव का इस पृथ्वी पर आर्विभाव। हमारे ऋषि मुनि प्रारम्भ से ही इस बात के लिए अत्यन्त चिन्तित थे कि मनुष्य प्रकृति में अत्यधिक हस्तक्षेप न करें। इसलिए वह स्वयं वनो में अवस्थित आश्रमों में रहते थे, ताकि मानव समाज को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाये रखते हुये जीवन निर्वाह की शिक्षा दे सकें। उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को 'अहिंसा परमो धर्मः' के जीवन का निर्देशक सिद्धान्त के रुप में अपनाने की प्रेरणा दी। उनके आश्रमों में भी वन जीव निर्भय घूमा करते थे। उन्होनें सबको यही शिक्षा दी कि सृष्टि के समस्त जीवों में ईश्वर का वास है। उदाहरण के लिए, इशोपनिषद में ऋषि ने कहा 'ईशा वास मिदं सर्वम्' अर्थात यह समस्त दृश्यानुभूत जगत ईश्वर का आवास है, जड़, चेतन प्राणि पदार्थ के रुप में, जो कुछ दिखाई देता या अनुभव किया जाता है, वह सब परम सत्ता से भावित तथा नियन्त्रित है। संसार में कीट पतंग, पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण रुपों में परमेश्वर की आत्मकृतियां हैं, उन्हें नष्ट करने का उसे क्या अधिकार है ? उसे तो 'तेन त्येक्तेन भुंजीथा' अर्थात त्याग से ही सबका पालन करना

चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत् में भी कहा गया है कि मृग, ऊष्ट्र (ऊंट), गर्दभ तथा बन्दर' जैसे पशुओं से लेकर मूषक, सरीसृप, पक्षी, मछिका आदि कीट प्राय प्राणियों को अपने पुत्रों के समान समझना चाहिए क्योंकि आत्मदृष्टि से उनमें अन्तर ही क्या है?

(ब) हिन्दू तथा मुगल शासनकाल –

वन्य जीव इस प्रकार बहुत समय संरक्षित रहे परन्तु जब जनसंख्या और स्वार्थ प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण वन्य जीवों की क्षति होने लगी तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वनों के कुल भागों को निर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था की। उससे वनों में वन अधिकारियों की नियुक्ति की गयी और वन्य जीवों और पादपों को की जाने वाली क्षति के लिए दण्ड की व्यवस्था की गयी। उदाहरण के लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक नियम यह भी है कि (गैरोला 23 के कौटिल्य अर्थशास्त्र) जो व्यक्ति फॉस का जाल बिछाकर या घास–फूस से ढके गड्ढों द्वारा संरक्षित राजकीय मृग तथा अन्य पशु पक्षी, जीव और मछली आदि पकड़े उससे उनका मूल्य तथा उतना ही जुर्माना वसूल किया जाये। कौटिल्य ने वन्य जीवों की कुछ प्रजातियों को पूर्णतया संरक्षित कर दिया था। सम्राट अशोक ने भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण विधि का निर्माण किया। उसके पांचवे शिलालेख में उन वन्य पशुओं, पक्षिओं, मत्स्यों तथा कीटों की एक सूची है, जिनको पूर्णतया संरक्षण दिया गया। मुगल शासक स्वयं शिकार के बहुत शौकीन थे। अतः उन्होने अपने शिकार के लिए वन्य पशुओं को संरक्षित रखने के उद्देश्य से शिकारगाहों का निर्माण निर्धारण किया।

(स) ब्रिटिश शासन काल –

ब्रिटिश शासन काल में जहॉ एक ओर अंग्रेंज शिकारियों का अनुसरण करते हुये देशी राजाओं और महाराजाओं ने वन्य पशुओं का विस्तृत विनाश किया, वहीं दूसरी ओर शासन ने इस विनाश से चिन्तित हो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम बनायें। सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम 1878 की धारा 25(झ) के द्वारा आरक्षित वन में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्ही नियमों के उल्लघंन में हाथी पकड़ने या मारने, शिकार खेलने, गोली चलाने, मछली मारने, जल विषैला करने या पाश या जाल बिछाने को छः माह तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय बना दिया। तत्पश्चात् हाथी परिरक्षण अधिनियम 1879 बनाया गया। इसके परिणामस्वरुप

भारतीय वन अधिनियम 1878 की धारा 25(झ) में से हाथी पकड़ना या मारना शब्द हटा दिये गये। कुछ राज्य सरकारों ने भी भारतीय वन अधिनियम लागू करने के बजाय अपनी परिस्थितियो के अनुकूल राज्य वन अधिनियम बनायें। उदाहरण के लिए मद्रास राज्य (वर्तमान तमिलनाडु) ने मद्रास वन अधिनियम 1882 अधिनियमित किया, जिसके अनुसार बिना अनुज्ञा पत्र के शिकार को प्रतिषिद्ध करने के अतिरिक्त नीलगाय, मलावार, गिलहरी, कस्तूरीमृग, कृष्णसार तथा मोरनी को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। भारत के प्रथम संहिता बद कानून जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून की दुनिया में अग्रणीय था, अंग्रेजों द्वारा 1887 में बनाया गया और उसका नाम 1887 का वन्य पक्षी सुरक्षा अधिनियम 'सं0–10' रखा गया। मछलियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1897 बनाया। 1887 के वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम के स्थान पर 1912 में, 1912 का वन्य पक्षी एवं पशु संरक्षण अधिनियम सं0–8 पारित किया गया तथा समूचे ब्रिटिश भारत पर लागू किया गया। इस अधिनियम में कई पशु पक्षियों के लिए निषिद्ध काल की व्यवस्था करके वैज्ञानिक प्रबन्ध का सूत्रपात किया गया।

1– भारतीय वन अधिनियम 1878 के स्थान पर 1927 में एक नया व्यापक भारतीय वन अधिनियम 1927 बनाया गया। इसकी धारा (26)(झ) के द्वारा आरक्षित वन में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्ही नियमों के उल्लघंन में शिकार खेलना, गोली चलाना, मछली पकड़ना जल विषैला करना या पाश या जाल बिछाना तथा धारा 26(1)(म) के अनुसार आरक्षित वन में किसी क्षेत्र में जिसमें हाथी परिरक्षण अधिनियम 1879 प्रवृत्त नही है, इस प्रकार बनाये गये कि नियमों के उल्लघंन में हाथियों का वध करना या उन्हें पकड़ना छः माह तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माने या दोंनों से दण्डनीय बना दिया गया। इस अधिनियम की धारा 26 तथा 75(घ) के अधीन विभिन्न राज्यों ने समय समय पर नियम बनाये। उदाहरण के लिए उ0 प्र0 में निम्नलिखित विषयों पर नियम बनाये गये –

1. कुंमाऊं की पर्वतीय पट्टियों में शिकार खेलने, गोली चलाने तथा मछली मारने को विनियमित करने के लिए नियम – अधिसूचना सं0 1055/ग4–126 दिनांक 21 अक्टूबर 1927

2. कुंमाऊ की पर्वतीय पट्टियों से भिन्न उ0 प्र0 के आरक्षित वनों में शिकार खेलने, गोली चलाने तथा मछली मारने के विनियमित करने के सामान्य नियम – अधिसूचना सं0 427/ग4–306 दिनांक 22 मई 1928

3. कुंमाऊ की पर्वतीय पट्टियों से भिन्न उ0 प्र0 के आरक्षित वनों में शिकार खेलने, गोली चलाने तथा मछली मारने के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की पुनरीक्षित प्रक्रिया शासनादेश सं0 54/ग4 दिनांक 18 मार्च 1949

4. गढ़वाल जिले की आरक्षित वन सीमाओं में विहरी गंगा में मछली मारने की विनियमित करने का नियम शासनादेश सं0 1106(2)/ग4–181 दिनांक 23 दिसम्बर 1936

5. कुंमाऊ में मछली मारने के संरक्षण को विनियमित करने के लिए नियम – अधिसूचना सं0 765–ए0एफ0/ग4–146–1940 दिनांक 20 मार्च 1941.

वन्य पक्षी और जीव जन्तु संरक्षण अधिनियम प्रवृत होने पर भी आरक्षित वनों के बाहर आखेट पक्षियों तथा पशुओं को कोई संतोषजनक संरक्षण नही था। तीतर, चाहा, बत्तखों को प्रजनन ऋतु में एवं उसके बाहर विस्तृत रुप से जाल से पकड़ने या पाश में फंसाने का कार्य चल रहा था और उन्हें नगरों में बेचा जा रहा था। तत्कालीन पंजाब सरकार ने सर्वप्रथम इस पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब वन–पक्षी एवं जीव–जन्तु संरक्षण अधिनियम 1934 को प्रख्यापित किया। इस अधिनियम में एक प्रभावी उपबन्ध रखा गया कि 'निषिद्ध काल' में किसी जीवित या मृत पक्षी का कब्जे में होना एक अपराध बना लिया गया, साथ ही इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि जो पशु या पक्षी अधिनियम की चार अनुसूचियों में उल्लिखित नही है, वह संरक्षित है।

लगभग इसी समय मुम्बई (वर्तमान में महाराष्ट्र), मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद में वन्य जीव प्रबन्ध कुछ अधिक गहन हो चला क्योंकि इन प्रदेशों के आरक्षित वनों को आखेट खण्डों में विभाजित करके केवल उन्ही खण्डों में आखेट अनुज्ञा पत्र दिये जाते थे, जहॉ आखेट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। जिसमें वह कम था उन क्षेत्रों को पशुओं के संरक्षण के लिए बन्द कर दिया जाता था। बाद में यह पद्धति 'आवर्ती आखेट पद्धति' में विकसित हुई ।

वन्य पक्षी एवं पशु सुरक्षा अधिनियम सं0 27 के द्वारा 1935 में संशोधित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 'उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1936' अधिनियमित किया और इसके अधीन नियम बनाये। इस अधिनिमय के अधीन उत्तर प्रदेश में हेली (वर्तमान कार्बेट) राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गयी। 1935 के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद भारत की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष हुआ और वन्य जीवों के मसले को पीछे ढकेल दिया गया।

(द) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद –

1952 में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीव परिषद का गठन किया और इस परिषद को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये –

1. ऋतु सम्बन्धी तथा प्रादेशिक निषिद काल, कुछ प्रजातियों के रक्षित किये जाने की घोषणा और अन्धाधुन्ध हत्याओं के निवारण के सम्बन्ध में विशिष्ट निर्देश देने वाले सम्बन्धित विधायी तथा व्यवहारिक उपायों द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण तथा नियन्त्रण के लिए उपाय सुझाना।

2. अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा चिड़ियाघरों को प्रयोजित करना।

3. वन्य जीवों में और प्राकृतिक तथा मानवीय पर्यावरण के सामन्जस्य में, उनके परिरक्षण की आवश्यकता में जन साधारण की रुचि की अभिवृद्धि करना।

4. जीवित पशुओं, ट्राफियों, खालों, बालों, पंखों तथा अन्य वन्य जीवन उत्पादों के निर्यात सम्बन्धी नीति पर सरकार को परामर्श देना।

5. उस उद्‌देश्य, जिसके लिए परिषद का गठन किया गया है, से सम्बद्ध अन्य कृत्यों को करना।

6. क्षति सहित या रहित, जीवित, पकड़े गये पशुओं और पक्षियों के प्रति क्रूरता का निवारण करना।

परिषद ने (1) चिड़ियाघरों (2) पक्षियों (3) मत्स्य क्षेत्रों तथा (4) पादप जगत के प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अपने अधीन चार खण्डों का गठन किया। इसी वर्ष भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति 1952 की भी घोषणा की। इस वन नीति में भी पक्षियों तथा पशुओं को विशिष्ट अधिनियमों के द्वारा तथा विरल और लुप्तप्राय प्राणिजाति की विस्तृत अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापित करके संरक्षण प्रदान करने पर बल दिया गया। परिणामस्वरुप प्रदेश में अब तक 1 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव विहार तथा 13 पक्षी विहारों की स्थापना हो चुकी है। सन् 1969 में उ0 प्र0 सरकार ने शासनादेश सं0 1917/11/ग/4–0–734/60 दिनांक 19.04.1969 जारी करके विशिष्ट पक्षियों का बंदीकाल घोषित किया तथा साण्डी सहित विभिन्न पक्षी विहारों के 5 किमी0 घेरे में पकड़ना, शिकार करना निषिद्ध किया गया।

वन्य जीवों को व्यापक संरक्षण प्रदान करने के लिए संसद ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। यह अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण, आखेट, वनों के अन्दर तथा बाहर संकटापन्न प्रजाति के संरक्षण, वन्य उत्पादों के व्यापार के विनियमन आदि को शासित करता है। दुर्भाग्यवश इस अधिनियम की धारा 9 में लाइसेन्स धारकों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए शिकार की अनुमति दी गयी –

क– विशेष आखेट

ख– बड़े आखेट

ग– छोटे आखेट और

घ– वन्य जीवों को पकड़ना ।

हालांकि इस अधिनियम द्वारा वन्य पशुओं का शिकार प्रतिबन्धित हो गया किन्तु व्यवहार में चोरी छिपे शिकार भारी पैमाने पर होता रहा। क्योंकि जीव जन्तु ट्राफियों और वस्तुओं का व्यापार पूर्णरुप से प्रतिबन्धित नहीं था।

अन्ततः 1976 में भारत ने वन्य जीवों को संविधान में उचित स्थान और मान्यता मिली। संसद में संविधान (42वां) संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया और भाग–4 में (03.01.1977)

अनुच्छेद 48क अन्ततः स्थापित किया जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त अर्न्तनिहित है। 'राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा।' 1976 में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ। भारत ने 20 जुलाई 1976 को वन्य प्राणिजगत और वनस्पति जाति के संकटापन प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेशन, जिसको 'साइटस' (ब्ज्ञै) के नाम से जाना जाता है, के अनुसमर्थन के अभिलेख जमा करवाये। 1986 में संशोधन द्वारा वन्य जीव प्राणि संरक्षण अधिनियम 1972 में एक नया अध्याय–5क जोड़ा गया और अनुसूचित जीव जन्तुओं से व्युत्पन्न ट्राफियों, जीव जन्तु वस्तुओं इत्यादि के व्यापार अथवा वाणिज्य पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया। वर्ष 1991 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 को 2 अक्टूबर 1991 से, 1991 के संशोधन अधिनिमय सं0 44 के द्वारा पुनः संशोधित किया गया। यह एक ऐतिहासिक संशोधन था। इनमें अनुसूची 6 जोड़ी गयी। संरक्षित क्षेत्र पार्वती अरगा पक्षी विहार के विभिन्न संरक्षण कार्य वन्य जीव संगठन द्वारा वर्ष 1990 से किये जा रहे है।

3.11 प्रशासनिक संगठन **(Administrative Organization)** –

पार्वती अरगा पक्षी विहार हेतु एक रेंज अधिकारी, दो वनविद्, दो वन्य जीव रक्षक तथा एक नाविक क्षेत्र में तैनात हैं। प्रशासनिक नियन्त्रण प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर का है।

3.12 पार्वती अरगा पक्षी विहार लखनऊ, दिल्ली, फैजाबाद सहित प्रदेश के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल एवं सड़क मार्ग से सुगमता पूर्वक यहॉ पहॅुचा जा सकता है। पक्षी विहार की सुरक्षा एवं गश्त हेतु एक मोटर साइकिल, 2 मोटर बोट तथा फाइबर की नावें है। वायरलेस सेट भी लगा है। इसके अतिरिक्त संचार साधन की आवश्यकता है।

3.13 वन्य जीवों के क्षतिकारक **(Factors Affecting Wild Life)** –

यद्यपि वन्य जीव मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा सारे संसार में उनकी दशा में पिछले दशकों में बहुत ह्रास हुआ है। इस देश में तो वन्य जीवों को धार्मिक दृष्टि से भी संरक्षण प्राप्त था, फिर भी विभिन्न कारकों द्वारा उनको अपार क्षति पहॅुचायी गयी। महत्वपूर्ण कारकों का विवरण निम्न प्रकार है –

(1) मनुष्य **(Human Beings)** –

मनुष्य इस पृथ्वी पर होने वाले जीवों में से ही एक का विकसित रुप है परन्तु अपनी बुद्धि या कुबुद्धि के कारण उसने अपने आपको अन्य प्राणियों से अलग कर लिया और अपने बनाये अप्राकृतिक वातावरण में रहते हुये अपने भौतिक सुखों की भारी वृद्धि के लिए वह उस प्रकृति, जिसमें उसका विकास हुआ, को ही नष्ट करने लगा। मनुष्यों द्वारा अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु वन्य प्राणियों का अंधाधुंध शिकार किया जाने लगा। इस संसार में प्राकृतिक साधन सीमित हैं, इसलिए यदि उन पर आश्रित जीव समुचित संख्या तथा अनुपात में रहते है तो जीवधारियों का प्रत्येक वर्ग सुरक्षित रहता है, क्योंकि प्रकृति संतुलन बनाये रखती है। दुर्भाग्य से पिछली कुछ दशाब्दियों में मानव ने अपने वंश की अत्यधिक वृद्धि करके प्रकृति में हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया। मनुष्य की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। परिणामस्वरुप इस जनसंख्या का पेट भरने के लिए कृषि क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि करनी पड़ रही है और परिणामस्वरुप वन्य जीवों का प्राकृतिकवास उसी अनुपात में कम हो रहा है। मनुष्यों द्वारा अतिक्रमण कर वन्य जीवों के प्राकृतवास में बाधा उत्पन्न करने से अन्य प्राणियों का स्वच्छन्द विचरण प्रभावित होता है एवं जंगली जीवों का जीवन कठिन हो जाता है।

(2) पालतू पशु **(Domestic Animals)** –

मानव जाति की संख्या से ही सम्बन्धित उनके पालतू पशुओं की संख्या का प्रश्न है। जैसे–जैसे मानव जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके पालतू पशुओं की संख्या भी बढ़ रही है। इनकी संख्या में वृद्धि से वन्य जीवों के प्राकृतवास के विनाश की प्रक्रिया तेज होती है। संरक्षित क्षेत्रों पशुओं के अतिचार से पक्षियों के नीड़ व अण्डे नष्ट हो जाते है तथा शाकाहारी पशुओं तथा वन्य पशुओं में भोजन की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, जिससे वन्य पशुओं के लिए भोजन की कमी हो जाती है। एक ओर जहॉ भोजन की कमी ने वन्य पशुओं को निर्बल बनाया वहीं दूसरी ओर पालतू पशुओं के रोगों की वन्य पशुओं में संक्रमण की सम्भावनाएं भी बढ़ा दी। परिणामस्वरुप वन्य पशु महामारियों से भी मरते है। बढ़ती पालतू पशु संख्या वन्य जीवों के लिए क्षतिकारक है।

(3) प्रदूषण **(Pollution)** –

पर्यावरण में विभिन्न प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है। कल–कारखानों, यातायात के साधनों, ईंधन जलाने आदि के कार्य से वातावरण में कार्बन डाई आक्साईड की मात्रा बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पोटेशियम पेण्टाऑक्साइड, अमोनिया आदि गैसें वातावरण में बढ़ रही है। इन सभी से वन्य पशुओं में फेफड़ों की बीमारियां हो रही है तथा कार्बन मोनोआक्साइड से दम घुट जाता है। क्लोरीन घास के साथ पहुँचकर अस्थियों को कमजोर कर देता है। वायुमण्डल में प्रदूषकों की परत के कारण सूर्य प्रकाश पौधों तक पहुँचना कम हो जाने से प्रकाश संश्लेषण में कमी से पत्तियॉ पूर्ण अथवा आंशिक रुप से झुलस जाती हैं, जिससे वन्य जीवों का प्राकृतवास प्रभावित होता है।

कृषि फसलो की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ डी0डी0टी0, मेथाक्सी–क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, चूना, गंधक चूर्ण, क्लोरीन, फार्मेलडिहाइड, टेक्साफेन, हेक्टाक्लोर एवं विभिन्न प्रकार के अपतृणनाशी, कवकनाशी आदि प्रयोग में लाये जाते है। यह पदार्थ अवांछित रुप से भूमि, जलवायु में एकत्रित होकर भोजन के साथ जीवों के शरीर में पहुॅच जाते है। भूमि में ह्यूमस बनाने वाले जीव नष्ट हो जाते है। भूमि की उर्वरता में कमी आने से वनस्पतियों की वृद्धि प्रभावित होती है, जिससे खाद्य श्रृंखला पर कुप्रभाव पड़ता है।

रेडियोधर्मी पदार्थ परमाणु विस्फोटों से वातावरण में पहुॅचकर पौधों, जीव–जन्तुओं के शरीर में पहुॅच जाते है, जिससे जीन्स में उत्परिर्वतन हो जाने से संततियॉ नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। संरक्षित क्षेत्रों के आस–पास सड़को पर आवागमन के कारण ध्वनि प्रदूषण भी होता है। यह ध्वनि तंरगे जीवों की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करती है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, जिससे जैव अपघटन क्रिया पूरी तरह प्रभावित होती है।

(4) विकास कार्य **(Developmental Works)** –

विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण, रेल लाइन, भवन निर्माण, कल कारखानों की स्थापना, यांत्रिक कृषि आदि के कारण वन्य जीवों का प्राकृतवास लगातार कम होता जा रहा है, जो सीधे रुप से वन्य जीवों की संख्या को कम करता है।

(5) उदासीनता एवं वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव **(Negligence & Lack Of Scientific Knowledge)** –

वन्य जीवों सम्बन्धी क्षति का कम दिखने वाला स्वरुप जनसाधारण में वन्य जीवों के प्रति उदासीनता, वन्य जीवों के सम्बन्ध में ज्ञान के अभाव, वन्य जीव सम्बन्धी क्षति के विस्तार तथा प्रभाव के बारे में अज्ञान आदि के कारण वन्य जीवों की क्षति प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है और परिणामस्वरुप कुछ समय बाद कोई एक प्रजाति या तो विलुप्त हो जाती है या विलुप्त होने के कगार पर पहॅुच जाती है, तब इसकी जानकारी हो पाती है।

(6) अग्नि **(Fire)** –

आग लगने से भी वन्य जीवों का प्राकृतवास, भोजन आदि की कमी हो जाती है। इसके साथ वन्य जीवों के अण्डों एवं उनके नष्ट होने का खतरा रहता है।

(7) जलवायु कारक **(Climatic Factors)** –

संरक्षित क्षेत्र में कम वर्षा के कारण अवांछनीय खर पतवारों की मात्रा बढ़ जाती है तथा जलीय जीव नष्ट हो जाने से भोज्य पदार्थो में कमी आ जाती है। जिससे पक्षियों के भोजन एवं गोताखोरी क्षेत्र में कमी एवं पक्षियों की संख्या की कमी हो जाती है। जब अत्यधिक वर्षा हो जाती हैं, तब आस–पास के क्षेंत्रों से अत्याधिक हानिकारक जलकुम्भी बह कर झील में आ जाती है, जो प्राकृतवास को ढक लेती है और किसी अन्य वनस्पति को आने नही देती है।

(8) भू–क्षरण **(Soil Erosion)** –

आस–पास के क्षेत्रों से वर्षा के पानी के साथ मृदा बहकर झील में आ जाती है और उसकी तली को भरने लगती है, जिससे झील की जल धारण क्षमता में कमी आ जाती है तथा कृषि क्षेत्रों से खर पतवार झील में उगने लगते है। पादप अनुक्रम परिवर्तित होने लगता हैं। भविष्य में झील के पूर्णतः सूख जाने से स्थल में परिवर्तित हो जाने की सम्भावनाएं बढ़ जाती है जो सीधे सीधे वन्य जीवों की संख्या / प्रवास को प्रभावित करेंगी।

अध्याय – 4

संरक्षित क्षेत्र एवं अंतरापृष्ठीय स्थल उपयोग परिस्थिति

(The Protected Area and the Interface Land use Situation)

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के अधीन अधिसूचना संख्या 1021/14–3–14/90 लखनऊ दिनांक मई, 23, 1990 द्वारा पार्वती अरगा पक्षी विहार की अधिसूचना पक्षी विहार घोषित करने हेतु जारी हुई। इसके अनुसार पार्वती झील का 640 हे0, अरगा झील का 320 हे0 तथा अरगा झील की अधीन ली गयी राजस्व भूमि0 124.47 हे0 कुल 1084.47 हे0 पक्षी विहार हेतु प्रस्तावित किया गया।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा उद्घोषणा जारी की गयी तथा 39 अद्द आपत्तियॉ जो प्राप्त हुई उनकी सुनवायी के बाद कलेक्टर, गोण्डा ने अपने आदेश दिनांक 22 जून 1998 द्वारा 695.117 हे0 पक्षी विहार के पक्ष में निर्णय किया।

इस प्रकार से शेष क्षेत्र कुल 389.353 हे0 क्षेत्र जो जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा नोटीफिकेशन में प्रभाग के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया गया है। उपरोक्त कम पड़ रही अवशेष भूमि को पक्षी विहार में लेने के लिए जलमग्न भूमि / भूमि के भूस्वामियों को चिन्हित कर राजस्व विभाग से प्रचलित सर्किल रेट प्राप्त कर इस सम्बन्ध में विधिवत् प्रस्ताव वन्य जीव बोर्ड उत्तर प्रदेश को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

इसके अनुसार पार्वती झील तथा अरगा झील से सम्बन्धित ग्रामों का ग्रामवार झील का रकबा निम्नवत् है –

अरगा झील

क्र0 स0	ग्राम का नाम	रकबा (हे0 में)	अमलदरामद की स्थिति
1	गौरिया	20.801	राजस्व अभिलेख में अमलदरामद की कार्यवाही हो चुकी है।
2	मधवापुर	22.585	राजस्व अभिलेख में अमलदरामद की कार्यवाही हो चुकी है।
3	तिखड़िया	24.581	राजस्व अभिलेख में अमलदरामद की कार्यवाही हो चुकी है।
4	लक्ष्मनपुर	5.022	राजस्व अभिलेख में अमलदरामद की कार्यवाही हो चुकी है।
5	कोठा	118.402	राजस्व अभिलेख में अमलदरामद की कार्यवाही हो चुकी है।
कुल योग		191.391 हे0	

<u>पार्वती झील</u>

क्र0 स0	ग्राम का नाम	रकबा (हे0 में)	अमलदरामद की स्थिति
1	चन्दापुर	417.0	राजस्व अभिलेख में अमलदरामद की कार्यवाही हो चुकी है।
2	बहादुरा	34.192	राजस्व अभिलेख में अमलदरामद की कार्यवाही हो चुकी है।
3	हरिहरपुर	10.278	राजस्व अभिलेख में अमलदरामद की कार्यवाही हो चुकी है।
4.	कोठा	40.958	राजस्व अभिलेख में अमलदरामद की कार्यवाही हो चुकी है।
कुल योग		502.428 हे0	

इस प्रकार पार्वती झील का 502.428 हे0 तथा अरगा झील का 191.391 हे0 कुल 693.819 हे0 पक्षी विहार के पक्ष में निर्णित हुआ। ग्राम कोठा का एक भाग अरगा झील में है तथा शेष भाग पार्वती झील में है।

ग्रामवार गाटा संख्या तथा क्षेत्रफल जो कलेक्टर गोण्डा द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 25 तक की कार्यवाही के पश्चात् पक्षी विहार घोषित करने हेतु उपयुक्त पाया गया। आगे की कार्यवाही प्रगति पर है।

4.2 वन्य जीव विहार की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक **(Factors Affecting flora of the Wild Life Bird Sanctuary)** –

4.2.1 जलवायु – क्षेत्र की जलवायु उत्तर भारत के तराई मैदानी क्षेत्र की मानक जलवायु है।

4.2.2 वर्षा – माह जून के अन्तिम सप्ताह से सामान्यता वर्षा प्रारम्भ होती है, जो माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक सामान्य परिस्थितियों में रहती है।

4.2.3 पाला – कुछ वर्षों में भीषण पाले का प्रकोप समय–समय पर पाया गया है।

4.2.4 तूफान/आंधी – सामान्यता अप्रैल व मई के महीनों में आंधी व तूफान आते है।

4.2.5 बाढ़ – वर्षा के दिनो में आने वाली अचानक बाढ़ से भूक्षरण के साथ–साथ अवागमन अवरुद्ध होता है।

4.3 अग्नि **(Fire)** –

बीड़ी, सिगरेट व इस प्रकार की जलती हुई आग छोड़ देने के कारण पक्षियों के धोसले/अण्डे व वन्य जीव प्रभावित होते है।

4.4 अवांछित वनस्पतियॉ **(Unwanted Plant Species)** –

अवांछित वनस्पतियॉ यथा– जल में जलकुम्भी तथा समीपवर्ती भूमि क्षेत्र में लैण्टाना, पार्थेनियम आदि के उगने से क्षेत्रों पर कुप्रभाव पड़ता है तथा यह बड़ी तेजी से फैलती है, जिससे विकास संकुचित हो जाता है। इन प्रजातियों के फैलने से अन्य प्रजातियों का ह्रास होता है, जिससे स्थानीय व प्रवासी पक्षियों के भोजन की समस्या उत्पन्न होती है।

4.5 मानव व पालतु पशु **(Man and Cattle livestock)** –

4.5.1 मनुष्यों द्वारा झील के किनारे अतिक्रमण करने से क्षेत्रों पर कुप्रभाव तथा झील की भूमि का संकुचन होता है।

4.5.2 पालतू पशुओं के झील के किनारे के क्षेत्रों में चराई करने एवं उनके पैरो तले दबने से अनेक प्रजातियॉ नष्ट हो जाती है।

4.6 भूक्षरण **(Soil Erosion)** –

वर्षाकाल में पक्षी विहार क्षेत्र में अचानक बाढ़ आने से भूमि के कटाव के कारण छोटे–छोटे पौधों का नुकसान होता है।

अध्याय – 5

दर्शन, उद्देश्य एवं समस्यायें

(The Vision, Objectives, Issues and Problems)

5.1 दर्शन (Vision) –

पार्वती अरगा पक्षी विहार की दोनो झीलों के वन्य जीवों एवं उसके पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं सतत् विकास।

5.2 ''स्वाट'' विश्लेषण (SWOT Analysis) –

पार्वती अरगा पक्षी विहार के संदर्भ में यह विश्लेषण निम्न प्रकार से उल्लेख किया जा रहा है –

(1) Strength (सामर्थ्य) -

(i) पार्वती अरगा पक्षी विहार की दोनो झीलें गोण्डा व आस–पास के अन्य जनपदों में सर्वोत्तम वेटलैण्ड है, जो अपनी सुन्दरता व स्वच्छ जल के साथ–साथ जलीय प्राणियों, स्थानीय व प्रवासी पक्षियों की अनेकों प्रजातियों; जलीय वनस्पतियों; अन्य जीव–जन्तुओं की जैव विविधता से भरपूर है।

(ii) यह पर्यावरण पर्यटको, विधार्थियों व आस–पास के लोगों के लिए एक उत्सुकता से भरा सुन्दर स्थल है। यह विशेषतायें पक्षी विहार को इस क्षेत्र में अद्वितीय बनाती है।

(iii) दोनो झीलें विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ''भगवान राम की नगरी अयोध्या'' के निकट है। इसलिए उपरोक्त स्थल को पर्यावरण पर्यटन के रुप में विकसित करने के प्रचुर अवसर है।

(iv) यह वेटलैण्ड ''रामसर साइट्स वेटलैण्ड'' के मानकों के अनुरुप है एवं महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) सूची में सम्मिलित है।

(2) Weakness (कमजोरी) -

(i) पक्षी विहार के बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यवाही अभी पूर्ण की जानी है। पूर्व में पक्षी विहार के रुप में धोषित किये गये कुल क्षेत्र में से हुई कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक कार्यवाही की जानी है।

(ii) वर्तमान में पक्षी विहार में कर्मचारियों की कमी है, जिससे पक्षी विहार की पर्याप्त सुरक्षा कठिन होती है।

(iii) पक्षी विहार को पर्याप्त बजट एवं वाहनों के उपलब्ध न होने के कारण पक्षी विहार का पर्याप्त विकास/प्रबन्धन सम्भव नही हो सका है।

(iv) पक्षी विहार की झीलों के किनारे आबादी बसी हुई है। अनेक गॉवों की आबादी का निरन्तर दबाव पक्षी विहार पर बना रहता है। इस क्षेत्र के अनेक पालतु पशु चराई व पानी के लिए भी पक्षी विहार की सीमा में आते रहते है।

(v) झीलों के मुख्य स्थलों व मुख्यालय (रेंज परिसर) तक पहुॅचने के लिए पहुॅच मार्ग/सम्पर्क मार्ग पर्याप्त नहीं है व एक मात्र सम्पर्क मार्ग अत्यन्त ही खराब दशा में है।

(3) Opportunities (अवसर) -

(i) पक्षी विहार झीलों में गहरे एवं उथले पानी के जलीय वनस्पतियों, जीव–जन्तुओं एवं पक्षियों तथा आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रचुर अवसर है।

(ii) पक्षी विहार झीलों में जलीय वनस्पतियों तथा जीव–जन्तुओं पर अध्ययन एवं अनुसंधान; स्थानीय व प्रवासी पक्षियों पर अध्ययन व अनुसंधान तथा झीलों के जल स्तर, प्रदूषण, गुणवत्ता आदि पर अनुसंधान एवं अध्ययन हेतु व्यापक अवसर उपलब्ध है।

(iii) पर्यावरण पर्यटन के लिए भी पक्षी विहार क्षेत्र में व्यापक सम्भानायें उपलब्ध है, जिनको बढ़ावा देकर स्थानीय जनसामान्य को रोजगार उपलब्ध कराते हुये पर्यावरण पर्यटन द्वारा जीविकोपार्जन के प्रति जागरुक किया जा सकता है।

(4) Threats (आंशकायें) -

(i) पूर्व में पार्वती तथा अरगा झील 'मत्स्य विभाग' के अधीन थी। मत्स्य विभाग द्वारा इन झीलों में मछली मारने हेतु नियमित रुप से नीलाम किया जाता था, जिस कारण से इन झीलों के किनारे मछुआरों के अनेकों परिवार स्थायी रुप से बसे हुये है।

(ii) वर्तमान में पार्वती तथा अरगा झील को पक्षी विहार घोषित किये जाने के बाद से झीलों में मछली आखेट कार्य पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया गया है। पक्षी विहार सीमा पर बसे परिवारों द्वारा मौका पाकर झील में अवैध आखेट का प्रयास किया जाता है। इसमें पक्षियों के अवैध शिकार की भी आशंका बनी रहती है।

(iii) पक्षी विहार की झील के किनारे बसे लोगों की अतिशय निर्भरता एवं खेती के लिए झीलों के किनारों की भूमि का उपयोग करने हेतु अतिक्रमण, आर्द्र भूमि के लिए एक खतरा है।

उपरोक्त ''स्वाट विश्लेषण'' में इंगित बिन्दुओं के सम्बन्ध में विभिन्न अध्यायों में विस्तार से आवश्यकतानुसार सुधार व निराकरण दिया गया है।

5.3 उद्देश्य (Objectives) –

मुख्य उद्देश्य निम्न है –

1. वर्तमान जैव–विविधता को संरक्षित रखना एवं यथासम्भव संवर्धन करना तथा क्षेत्रीय जलीय वनस्पतिक एवं जैविक इकोसिस्टम के नमूने सुरक्षित रखना।
2. झील का सौन्दर्यीकरण करना ।
3. स्थानीय जनता को पक्षियों के बारे में जानकारी कराना। पर्यावरण संतुलन में जलीय वनस्पति एवं जीव जन्तुओं के योगदान को पर्यटकों को बताना एवं व्यापक प्रचार करना।
4. सुविधाएं एवं आकर्षण बढ़ाकर पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना।
5. झील का विकास इस प्रकार करना कि स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों के प्राकृतवास में सुधार हो और आने वाले पक्षियों की संख्या में वृद्धि हो।

6. छात्रों तथा जन सामान्य को वन्य जीवन के सम्बन्ध में शिक्षित करना।

5.4 समस्यायें **(Issue & Problems)** –

1– पक्षी विहार में बन्दोबस्त कार्यवाही चल रही है, क्षेत्र की पैमाइश व सीमाकंन कार्य किया जा रहा है।

2– सीमांकन उपरान्त वन भूमि का समुचित उपयोग पक्षी विहार सम्बन्धित कार्यों हेतु किया जाना है।

3– पक्षी विहार की दोनों झीलों के किनारे के गॉवों में मछुआ समुदाय के काफी लोग रहते है, जिनके पास छोटी–छोटी नावें है। इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत मछली मारना व बेचना रहा है।

4– पक्षी विहार की झील के किनारे बसे लोगों की अतिशय निर्भरता एवं खेती के लिए झीलों के किनारों की भूमि का उपयोग करने हेतु अतिक्रमण, एक समस्या है।

5– विगत वर्षों में पक्षी विहार के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जो कार्य कराये जाने थे, उनके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्र का वांछित विकास नही हो सका।

6– पक्षी विहार की दोनो झीलों पार्वती एवं अरगा के लिए आवागमन का सम्पर्क मार्ग सुचारु न होने के कारण, जहॉ सुरक्षा एवं विकास के कार्य प्रभावित होते है, वहीं पर्यटक एवं सामान्यजन के आवागमन में भी बाधा पहॅुचती है, जो पक्षी विहार के पर्यटन को प्रभावित करती है।

अध्याय – 6

रणनीति

(The Strategies)

6.1 सीमायें **(Boundaries)** –

पार्वती तथा अरगा दो अलग–अलग झीलें है, जिन्हें पक्षी विहार घोषित किया गया है। पक्षी विहार की पूर्ण सीमाओं का विवरण अध्याय–2 के बिन्दु संख्या 2.1 में अंकित किया गया है।

6.1.1 वैधानिक स्थिति **(Legal Status)** –

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 19 से 25 तक की कार्यवाही जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा सम्पन्न की जा चुकी है। दिनांक 22 जून 1998 के आदेश के तहत पक्षी विहार के सम्बन्धित क्षेत्रों को वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने के पारित आदेश में वर्ष 2007 में अमलदरामद का कार्य पूर्ण हो चुका है। सीमाकंन के अतिरिक्त बन्दोबस्ती कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। धारा 26ए की कार्यवाही प्रगति पर है।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम– 1972 की धारा 18 से 25 तक की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद निम्न 8 ग्रामों में पक्षी विहार का क्षेत्र अवस्थित है –

क्र0सं0	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हे0 में
1.	चन्दापुर	417.000
2.	बहादुरा	34.192
3.	हरिहरपुर	10.278
4.	गौरिया	20.801
5.	मधवापुर	22.585
6.	तिखड़िया	24.581
7.	लक्ष्मनपुर	5.022
8.	कोठा	159.360
	कुल क्षेत्रफल	693.819

61.2 संरक्षित क्षेत्र के बाहर आरक्षित क्षेत्र जिसे वन्य जीवों द्वारा प्रयोग किया जाता है –

झीलों के आस – पास खेती होती है। पक्षियों में मुख्यतः सारस इस कृषि क्षेत्र में रहते है। अरगा झीलों के उत्तर तरफ लगभग 1 किमी0 की दूरी पर टिकरी रेंज का आरक्षित वन क्षेत्र है, इन जंगलों के जंगली सुअर, नीलगाय व चीतल झीलों में पानी पीने आते है। झीलों के किनारे की कृषि भूमि व पेड़ पौधों में पक्षी अपना बसेरा बनाते है।

6.2 पक्षी विहार प्रदेशन्यास तथा क्षेत्र/प्रदेश–योजना (**Zone & Zonational Plan**) –

झीलों को तीन हिस्सो में विभाजित कर उनका विकास किया जा सकता है।

क– केन्द्रीय जलमग्न भूमि –

यहॉ पानी की गहराई अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में सुरक्षा एवं संवर्धन के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। इस क्षेत्र में कोई वाह्य हस्तक्षेप नही किया जायेगा।

ख– झील के किनारे उथले पानी वाले भाग –

झील की सफाई, घाट व टापूओं का निर्माण, पारिस्थितिकीय पर्यटन (Eco-Tourism) आदि सम्बन्धित विकास कार्य इन स्थानों पर किये जायेगें।

ग– किनारे के सूखे स्थल –

पौधरोपण, बिल्डिंग, लान, पार्क, व्याख्यान केन्द्र भवन, संग्राहलय, कैम्प शिविर आदि का निर्माण एवं विकास इन स्थानों पर किये जायेगें।

पार्वती अरगा पक्षी विहार के लिए विभिन्न कार्यों की आवश्यकतानुसार क्षेत्रवार प्रस्तावित कार्यों की योजना निम्न प्रकार है :–

6.2.1 आन्तरक – क्षेत्र (**Core Zone**) –

झीलों का वह क्षेत्र जिसमें वर्ष पर्यन्त पानी भरा रहता है। इस भाग में मुख्य रुप से सुरक्षा का कार्य किया जाना है। जलकुम्भी तथा इसी प्रकार की अन्य अवांछनीय जलवनस्पतियों को झीलों से

समय–समय पर अनुश्रवण कर सक्षम उच्चाधिकारियों से अनुमति ले, इस उद्देश्य से हटाया जाना आवश्यक होगा कि इनके दबाव के कारण पक्षीयों के भोजन, शैवाल आदि जल वनस्पतियों पर कुप्रभाव न पड़े तथा उनके स्वतन्त्र व स्वच्छन्द विचरण में कोई बाधा न पहुॅचे। सुरक्षा के उद्देश्य से निरन्तर गश्ती दल गठित कर नाव / मोटर बोट से नियमित गश्त आवश्यक होगी। विशेष रुप से माह अक्टूबर से माह मार्च के अन्त तक प्रवासी पक्षियों के विचरण अवधि में सर्तकता, गश्त, अनुश्रवण एवं तदनुसार रिपोर्टिंग आवश्यक है।

6.2.2 प्राकृतवास सुधार क्षेत्र (**Eco-Improvement Zone**)–

झीलों के किनारे तथा निजी खेती वाली भूमि जहॉ पक्षी बैठते/विचरण करते है। किनारों की खाली पड़ी विभागीय भूमि पर आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुरुप झरबेरी, करौंदा, अर्जुन, जामुन, गुटेल, शैलिक आदि प्रजातियों के पौधे लगाने से पक्षियों के रहने, आश्रय व भोजन जैसे विविध कारको में लाभ मिलेगा। कुछ एक बरगद, पीपल, पाकड़, सेमल आदि की वृक्षों की उपस्थिति से भी अन्य पक्षी प्रजातियों को प्रोत्साहन मिलेगा। क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हुये प्रजातियो का चयन कर एक नियमित कार्यक्रम बना ऐसा प्रबन्धन सम्भव होगा। अनेक प्रकार की धास व झाड़ी का झीलों के किनारे पाया जाना पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए लाभप्रद है। इन्हें सुरक्षित रखना व इनके संरक्षण के साथ–साथ यथासम्भव आवश्यकतानुसार विस्तार कर प्राकृतवास में सुधार किया जाना उचित होगा।

6.2.3 पर्यावरण–पर्यटन क्षेत्र (**Eco-Tourism Zone**) –

फैजाबाद, अयोध्या के निकट होने के कारण पर्यटन की काफी सम्भावनाएं है। आई0 टी0 आई0 मनकापुर तथा आस–पास के अन्य औद्योगिक इकाइयों जैसे चीनी मिलें, डिस्टिलरी एवं मनकापुर, नवाबगंज, वजीरगंज आदि नगरीय आबादी के लोगों के लिए पिकनिक का एक मात्र साधन है, जहॉ काफी संख्या में लोग आते है। प्रचार, प्रसार व सुविधाओं द्वारा पर्यटन विकास सम्भव हैं।

6.2.4 पर्यावरण विकास क्षेत्र (**Eco-Development Zone**) –

जैव विविधता (पेड़–पौधों एवं पशु पक्षियों की समस्त प्रजातियों) को 'जैनेटिक हेरिटेज' मानकर संरक्षित करने के ध्येय से ही राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार तथा पक्षी विहार की घोषणा की जाती है। ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में पहले से चले आ रहें सुविधाओं में प्रतिबन्ध लगने के कारण ही स्थानीय

निवासी संरक्षित क्षेत्र बनाये जाने पर वन विभाग के विरोधी हो जाते है। बिना जन–सहयोग के वर्तमान में कोई योजना केवल कानून बनाकर सम्भव नही हो सकती है। इसलिए संरक्षित क्षेत्र के आस–पास के निवासियों को उनकी सुविधाओं में हुई कटौती के बदले अन्य प्रकार की रोजगार परक योजनाओं से लाभान्वित कराना होता है, ताकि संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धकों तथा पड़ोसी निवासियों के सम्बन्धों में तनाव न हो तथा उनसे अपेक्षित सहयोग मिलता रहे। आस–पास के ग्रामीणों को धूम्ररहित चूल्हा वितरण करना, वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधनों व स्रोतो से उनके दिन–प्रतिदिन के कार्यों में सहजता व सहयोग प्रदान करना होगा। छोटे कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण देकर उन्हें ऐसे उद्योगों को लगाने के लिए प्रेरित करना होगा, जिनसे उनकी आय बढ़ सकें व पर्यावरण को कोई क्षति भी न पहॅुचें। यथा– मुर्गी पालन; मोबत्ती व दियासलाई उद्योग; सिलाई–बुनाई–कढ़ाई उद्योग; मधुमक्खी पालन; बकरी पालन; बागवानी आदि कार्य लाभप्रद हो सकते है।

6.2.5 पर्यावरण–प्रत्यास्थापन क्षेत्र (**Eco-Restoration Zone**) –

पूर्व में यह प्रथा रही है कि झीलों के किनारे जब पानी कम हो जाता था तो स्थानीय लोग सफाई जुताई करके खेती करते थे, जिससे वहॉ पर मौजूद प्राकृतिक जलीय पौधों के बीज व जड़ें धीरे धीरे समाप्त होते रहे तथा उनका क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता गया।

पक्षी विहार बनने के बाद सीमांकन करके सीमा स्तम्भ लगाकर झीलों के क्षेत्र में खेती करना बन्द होने से इन समाप्त प्राय वनस्पतियों को पुनः प्रोत्साहन देना होगा ताकि पक्षियों को रुकने व आहार आदि की समस्या न हो तथा क्षेत्र में प्राकृतिक रुप से वनस्पतियों व जीवों का सामंजस्य पुनः स्थापित हो सकें।

6.2.6 पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (**Eco-Sensitive Zone**) –

उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या 1160/14–4 –2011 दिनांक 30.05.2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरुप पक्षी विहार के चारों तरफ के क्षेत्र में पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (इको सेन्सटिव जोन) की पहचान कर विधिवत् धोषित किये जाने की कार्यवाही शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरुप की जानी है।

6.3 वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु मूल व मूलान्त योजना (**Theme & Theme Plan**) –

6.3.1 सुरक्षा – अवैध आखेट पर नियन्त्रण / प्रबन्धन **(Protection, Control and Anti Poaching Management)** –

झीलों में पर्याप्त मात्रा में स्थानीय पक्षी वर्ष पर्यन्त रहते है तथा प्रवासी पक्षी भी जाड़े के मौसम में आते है। कभी–कभी स्थानीय लोग इनके अवैध शिकार की कोशिश करते है। इनको रोकने के लिए झीलों के किनारे सशस्त्र कर्मचारियों की तैनाती व उनके द्वारा निरन्तर निगरानी करना आवश्यक है। झीलों के किनारे प्रतिबन्धों व कार्यवाही की सूचना बोर्डो के माध्यम से व अन्य प्रचार साधनों से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना आवश्यक है। स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेकर अपेक्षित जन–सहयोग प्राप्त करना भी आवश्यक है। पक्षी विहार सीमा से लगे हुये तथा सीमा से 10 किमी0 तक के ग्रामों/ कस्बों के निवासियों, जिनके पास आग्नेयास्त्र है, उनकी सूची परिशिष्ट 13 में दी गयी है।

6.3.2 मानव व वन्य जीव अर्न्तविरोध प्रबन्धन **(Man and Wild Life Conflict Management)**–

यहॉ पर जलीय पक्षियों से स्थानीय लोगों का कोई प्रतिरोध नही है किन्तु सावधानी बरतते हुये जनजागरुकता अभियान चला जनसामान्य को इनके प्रति पूर्व में ही दया व मैत्रीभाव रखने हेतु प्रेरित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए निर्धारित कार्यक्रम तैयार कर चरणबद्ध कार्य करना होगा।

6.3.3 अग्नि प्रबन्धन **(Fire Management)** –

यद्यपि अग्नि दुर्घटना से पक्षी विहार को कोई गम्भीर हानि परिलक्षित नहीं होती है किन्तु आस–पास के कृषि क्षेत्रों व गॉवों में सतर्कता अपेक्षित है। झीलों के किनारों पर झाड़ियों व धास–फूस में पक्षियों के धोसलें, अण्डे, बच्चे रहते है। लापरवाही या जानबूझकर द्वेष के कारण इनमें आग लगाये जाने से क्षति की सम्भावना रहती है। इन आशंकाओं को ध्यान में रख प्रबन्धन आवश्यक होगा।

6.3.4 संचार सुविधा प्रबन्धन **(Communication Management)** –

वन्य जीव संरक्षण हेतु जागरुकता बढ़ाने के लिए निम्न प्रकार की संचार सुविधाओं का विकास करना आवश्यक है।

क्रम सं0	कार्य का विवरण	मात्रा
1	वायरलेस सेट की स्थापना	
क	स्थिर/स्थायी सेट	एक
ख	मोबाइल सेट	चार
ग	वाकी टाकी	पॉच
2	टेलीफोन	एक
3	झीलों के किनारे आवश्यकतानुसार तटबन्ध/ पैदल मार्ग का निर्माण	25 किमी
4	मोटराइज बोट	एक
5	लकड़ी की देशी नाव	दस
6	वन क्षेत्राधिकारी हेतु जीप	एक
7	मोटर साइकिल	तीन
8	पहुॅच मार्ग का सुधार जिला प्रशासन के सहयोग से	

6.3.5 वन्य पक्षी/जीव स्वास्थ्य प्रबन्धन (**Wild Life Health Management**)–

यह संरक्षित क्षेत्र पक्षी विहार है। वाइल्ड लाइफ हेल्थ के अनुश्रवण की समय – समय पर आवश्यकता है। बर्ड फ्लू व अन्य संबंधित रोगों की जानकारी, रोकथाम व उपचार के सम्बंध में वन कर्मियों व निकटवर्ती ग्रामो में पर्याप्त प्रचार, प्रशिक्षण व आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था अनिवार्य है। संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी सार्वजनिक अथवा निजी प्रतिष्ठान स्थापित नही है। संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर कृषि भूमि है, जिसमें धान, गन्ना, मक्का, गेहूॅ, सरसों, तम्बाकू, साग–सब्जी की खेती की जाती है। कृषि कार्य से संरक्षित क्षेत्र के वन्य जीवों पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, बल्कि विभिन्न फसलों तथा जुताई के समय निकलने वाले कीड़ों से पक्षियों का आहार ही उपलब्ध होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में अनियंत्रित कीटनाशकों, रसायनों आदि के प्रयोग का कुप्रभाव जल में जैव विविधता पर अपना दुष्प्रभाव डाल सकता है, जिसके लिए विभाग को सतर्कता बरतनी होगी। विगत 2 वर्षो से देश में बर्ड फ्लू के कुछ मामले सामने आये हैं। उत्तर प्रदेश में भी सावधानियाँ बरती

जा रही हैं। बर्ड फ्लू से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना है।

बर्ड फ्लू से सम्बन्धित कार्य उत्तर प्रदेश सरकार की शासनादेश संख्या 818/सैंतीस–2–2009–30(93)/05, पशुधन अनुभाग–2 दिनांक 04.03.2009 के निर्देश के अनुरुप किया जायेगा।

पक्षी विहार में लगातार अनुश्रवण किया जाना चाहिए। आसपास ग्रामों की जनता को भी जागरूक बनाया जाना आवश्यक है। कृषि भूमि की ओर से आने वाले जल स्रोतो पर गंभीरता से दृष्टि रखने की आवश्यकता है। कृषको द्वारा अनियंत्रित रासायनिक खादों, कीट नाशको आदि के उपयोग से क्षति न पहुॅचाए इसे सुनिश्चित करना आवश्यक है।

6.3.6 भू–दृश्य प्रबन्धन (**Landscape Management**)–

दोनो झीलों को पारिस्थितिकीय पर्यटन के उद्देश्य से विकसित करने की भी समस्यायें है। 'जल ही जीवन है' को साकार करती यह झीलें जलीय वनस्पतियों व जीवों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नाना प्रकार की मछलियॉ, पक्षी, मेंढक, घोंघें, सीप, कछुआ, उदबिलाव आदि जलीय जीव; व कमल, तिन्नी, सेवार, हाइड्रिल, आइयोमिया आदि वनस्पतियॉ भी एक विशेष प्रकार का ईकोसिस्टम बनाते है।

राम की नगरी अयोध्या (फैजाबाद) के निकट होने के कारण विशाल जन समुदाय, जो पर्यटन हेतु यहॉ आता है, इन झीलों की ओर आकर्षित किया जा सकता है। इसके लिए इन झीलों के समुचित योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता है तथा आवश्यकता है इनके उचित प्रचार प्रसार की ।

दोनो झीलें गोखुर आकार की है, जिनमें अन्दर केन्द्र व बाहरी किनारे में आबादी है। पार्वती झील में चन्दापुर गॉव की आबादी व कृषि भूमि है तथा अरगा झील में कोठा गॉव की आबादी है। दोनों झीलें लम्बाई में अधिक विस्तृत है, चौड़ाई में कम है।

पार्वती झील का पानी बरसात में अन्दर की ओर खेतों में विस्तार पाता है, जो बढ़कर आबादी (केन्द्र) तक पहुॅच जाता है। अंरगा झील के पानी का विस्तार बाहर की ओर खेती की भूमि में होता है।

दोनो झीलों के आस–पास ढलान युक्त जमीन है, जिसमें अच्छी खेती होती है। धान, तम्बाकू, गन्ना, सौंफ, गेहूॅ, अरहर, सरसों आदि की फसलें उगायी जाती है। पानी की उपलब्धता के कारण वर्ष भर हरी सब्जियॉ उगायी जाती है।

दोनों झीलों के आस पास अधिकांश मछुआ समुदाय के लोग रहते है, जो कि कच्चे व पक्के छोटे घर बनाकर रहते है।

इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि की असीम सम्भावनाएं है, यहॉ पर पालतू बत्तख का व्यवसाय भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

अध्याय – 7

परिस्थितिकीय पर्यटन, व्याख्यान एवं संरक्षण शिक्षा

(**Eco-Tourism, Interpretation and Conservation Education**)

7.1 उद्देश्य (**Objective**) –

1– पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देकर वन्य जीवों के प्रति जागरुकता पैदा करना।

2– पर्यावरण संरक्षण के महत्व को प्रतिपादित करते हुये इस दिशा में जन जागरुकता पैदा करना।

3– पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना।

4– संरक्षित क्षेत्र के वन्य जीवों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी पर्यटकों तथा स्थानीय जनता को उपलब्ध कराना ।

7.2 समस्यायें (**Problems**) –

पूर्व में पार्वती व अरगा झीलें मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही है। मछलियों का विदोहन कार्य बड़े पैमाने पर होता था। झीलों के आस–पास की आबादी में मछुआ समुदाय के लोग इन्हीं झीलों पर आश्रित रहें है। पक्षी विहार के बाद इनकी मछली पकड़ने की गतिविधियों पर रोक लगने से ऐसे लोगों में 'पक्षी विहार' के प्रति प्रतिरोध की भावना है।

पार्वती अरगा पक्षी विहार के मुख्यालय रेंज परिसर, जहॉ व्याख्यान केन्द्र भी स्थित है, के लिए गोण्डा – फैजाबाद मुख्य मार्ग से टिकरी बाजार सम्पर्क मार्ग से निकलने वाला एक अन्य सम्पर्क मार्ग जो रेंज मुख्यालय को जोड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 1.25 किमी0 है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसके स्थान पर जिला प्रशासन द्वारा यथोचित सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था करना आवश्यक है।

7.3 रणनीति (**Strategies**) –

मछुआ समुदाय के लोगों को रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराया जाये। जैसे क्षेत्र के पारिस्थितिकीय पर्यटन विकास हेतु पैडल बोट उपलब्ध कराना, चाय–पान की दुकानें, चटाई बनाने का उद्योग, पत्तल की थाल–कटोरी आदि बनाने का उद्योग क्षेत्र में आसानी से चल सकता है, इसको प्रोत्साहन दिया जाये।

7.4 अधः संरचना विकास (**Infrastructure Development**) –

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील के किनारे स्थान स्थान पर जहॉ प्राचीन मन्दिर है, सीढ़ियो का निर्माण, नाव घाट का निर्माण, पर्यटकों को ठहराने के लिए आने वाले पर्यटको की संख्या पर निर्भर करेगा तथा भितरी, लक्ष्मनपुर व बहादुरा में पारिस्थितिकीय पर्यटन हेतु झोपड़ी/शेड का निर्माण किया जायेगा। स्वच्छ पेयजल, शौचालयों, स्नान–गृहों की पर्याप्त व्यवस्था भी आवश्यक है। पर्यटन के साथ–साथ पर्यावरण शिक्षा को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से बढ़ावा दिया जाना सुनिश्चित किया जाना है। जेटी व घाटों का निर्माण व सुधार कार्य पार्वती अरगा पक्षी विहार के संरक्षण के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

7.4.1 व्याख्यान केन्द्र (**Interpretation Center**) –

झीलों के किनारे भितरी में एक पक्षी व्याख्यान केन्द्र (बर्ड इन्टरप्रिटेशन सेन्टर) का निर्माण, जिसमें 1 बड़ा हॉल कमरा व 2 अन्य कमरे हों। एक में स्थानीय व प्रवासी पक्षियों के चित्र, माडल तथा उनसे सम्बन्धित पुस्तकें आदि रखी जायें।

गोण्डा – फैजाबाद मुख्य मार्ग पर वजीरगंज कस्बे में एक अतिरिक्त आगन्तुक/ पर्यटक केन्द्र की स्थापना किया जाना उचित होगा। जहॉ आने–जाने वाले पर्यटको को पार्वती अरगा पक्षी विहार के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सकें। इस कार्य हेतु एक निपुण कर्मचारी की तैनाती भी आवश्यक होगी।

7.4.2 प्रकृति–अंकित पथ (**Nature Trail**) –

झीलों के किनारे नेचर ट्रेल के लिए तटबन्ध/पैदल मार्ग आवश्यकतानुसार बनाये जाये तथा स्थान स्थान पर वृक्षारोपण व स्लोगन बोर्ड आदि लगाये जायेगें।

7.4.3 शिविर स्थल (**Camp Site**) –

शिविर स्थल के लिए भितरी, बहादुरा तथा लक्ष्मनपुर उपयुक्त स्थल हैं, जिन्हें विकसित किया जा सकता है। ऐतिहासिक स्थलों, मन्दिरों के पास झीलों में सीढ़ियों का निर्माण किया जाना उपयुक्त होगा।

7.4.4 अन्य कार्यक्रम (**Other Programme**) –

स्थानीय स्थलों में पम्फलेट, पोस्टर तथा पक्षी विहार में कैम्प कराकर बच्चों में वन्य जीवों के बारे में जानकारी दी जायें। वृत्तचित्र व रोचक फिल्म द्वारा भी प्रचार–प्रसार में सहयोग मिलता है।

आउटरीच (**Outreach Programme**):–

पर्यावरण शिक्षा को यथा सम्भव प्रोत्साहित किया जाना है। पक्षी विहार एवं वाह्य जोन से सम्बन्धित लोगों के अतिरिक्त एवं इस कार्य से परोक्ष न जुड़े व्यक्तियों हेतु आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने की योजना इस उददेश्य से प्रस्तावित है कि इन कार्यक्रमो के माध्यम से सामान्य जनता प्रकृति/वन्यजीव संरक्षण से जुड़ सकें, आउटरीच के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किये जाते है :–

1– साहित्य का वितरण :–

पक्षी विहार से सम्बन्धित साहित्य जैसे पम्पलेट, फोल्डर आदि का वितरण विभिन्न सूचीबद्ध एवं अन्य स्टेक होल्डर्स में किया जाऐ।

2– वन्य जीव सप्ताह मनाना :–

स्कूल/कॉलेजों, अन्य सरकारी एंव गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर वन्यजीव सप्ताह के दौरान चित्राकला, वाद–विवाद प्रश्नोत्तरी स्लाइड शो आदि आयोजित किये जाऐं।

3– रीजनल मैगा क्विज :–

प्रत्येक वर्ष पक्षी विहार से सम्बन्धित बलरामपुर जिले के साथ–साथ गोण्डा जनपद के स्कूल/कालेजों में पढ़ रहे छात्रा–छात्राओं हेतु एक रीजनल मैगा क्विज गोण्डा में आयोजित किया जाऐ। यह जूनियर (कक्षा आठ तक), मिडिल (कक्षा बारह तक), सीनियर (कॉलेज

छात्रा–छात्राऐं) स्तर हेतु आयोजित की जायेगी। इस क्विज में पर्यावरण एवं वन्य जीव विषयक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी रखी जायेगी, इसके परिणामों के आधार पर निम्न पुरूस्कार दिये जायें:–

व्यक्तिगत पुरूस्कार	संस्थागत पुरूस्कार
व्यक्तिगत परफारमैन्स के आधार पर– प्रथम पुरस्कार – रू 5000/ द्वितीय पुस्कार – रू 3000/ तृतीय पुस्कार – रू0 2000/	क्वालीपफाइंग अंक (75%) प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों की अधिकतम संख्या के आधार पर सुहेलवा वन्य जीव ट्राफी उस स्कूल/कालेज को दी जायेगी ।

उक्त प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रा/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों में पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी ।

4– बर्ड–वॉचिग क्लब :–

स्थानीय जनता में विभिन्न मंचों का सहारा लेकर बर्ड वॉचिग क्लब बनाये जायें।

5– नेचर क्लब

स्थानीय जनता में विभिन्न मंचों का सहारा लेकर नेचर क्लब बनाये जायें।

6– व्याख्यान–

क्षेत्र में स्थित स्कूल/कालेजों में सम्पर्क कर वन्यजीव अधिकारियों एवं वन्यजीव विशेषज्ञों के समय–समय पर व्याख्यान आयोजित किये जाऐं ताकि इनसे छात्रा–छात्राऐं लाभान्वित हो एवं उनकी अभिरूचि इस विषय में जागृत हो।

7– विभिन्न दिवस आयोजित करना :–

निम्न दिवसों को आयोजित कर स्थानीय जनता में पक्षी /वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने का सक्रिय प्रयास किया जाएं :–

1	जन्तु कल्याण पखवाड़ा	–	14 से 30 जनवरी
2	विश्व नमभूमि दिवस (वेटलैण्ड डे)	–	2 फरवरी
3	विश्व वानिकी दिवस	–	21 मार्च
4	विश्व जल दिवस	–	22 मार्च
5	विश्व अग्निशमन दिवस	–	14 अप्रैल
6	विश्व पृथ्वी दिवस	–	22 अप्रैल

7	जैव विविधता दिवस	–	22 मई
8	विश्व पर्यावरण दिवस	–	5 जून
9	वन महोत्सव सप्ताह	–	1 से 7 जुलाई
10	विश्व आजोन दिवस	–	16 सितम्बर
11	वन्य जीव सप्ताह	–	1 से 7 अक्टूबर
12	विश्व पशु दिवस	–	3 अक्टूबर
13	विश्व जन्तु कल्याण दिवस	–	4 अक्टूबर
14	राष्ट्रीय पक्षी दिवस	–	12 नवम्बर

उपरोक्त के अतिरिक्त बलरामपुर सृजन दिवस एवं सुहेलवा सृजन दिवस (14 नवम्बर) भी मनाया जाऐं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय जनता संरक्षित से जुड़ सकेगी ।

7.5 विनियमन, अनुश्रवण व मूल्याकंन (**Regulation, Monitoring & Evaluation**) –

पक्षी विहार में पारिस्थितिकीय पर्यटकों के लिए निम्न नियमों का पालन करना होगा –

1– पक्षी विहार में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देकर ही प्रवेश किया जा सकेगा। इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित दर पर आगन्तुको/पर्यटको से प्रवेश शुल्क वसूल किया जायेगा।

2– जुलाई से सितम्बर तक पक्षी विहार पर्यटकों के लिए बन्द रहेगा।

3– मछलियों तथा पक्षियों को किसी प्रकार का भोजन देना प्रतिबन्धित रहेगा।

4– झीलों में नौका विहार पंजीकृत नावों द्वारा ही किया जा सकेगा।

5– स्थानीय लोगों में से इच्छुक को प्रशिक्षण देकर नेचर गाइड बनाया जायेगा। पक्षी विहार में नेचर गाईड की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसकी फीस उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धारित की जायेगी।

6– पक्षी विहार क्षेत्र में मॉस, मछली का भोजन बनाना प्रतिबन्धित रहेगा।

7– पक्षी विहार क्षेत्र में बिना अनुमति आग्नेयास्त्र लेकर प्रवेश वर्जित होगा।

8– कैमरा, वीडियों कैमरा के लिए निर्धारित फीस जमा करना होगा।

9– निर्धारित कैम्प स्थल पर ही पर्यटक ठहर सकेंगें।

10– पक्षी विहार में ऐसी सभी गतिविधियों की मनाही रहेगी, जो वन्य जीवों के हित में न हो। इसका निर्णय नियमानुसार पक्षी विहार प्रबन्धन करेगा।

पक्षी विहार में आगन्तुकों के लिए एक रजिस्टर रखा जाये, जिसमें आगन्तुक अपना नाम, पता, आयु आदि विवरण के साथ साथ अपने सुझाव व टिप्पणी अंकित करेगें।

आगन्तुकों से प्राप्त सुझावों की समीक्षा समय – समय पर की जायेगी तथा तद्नुसार इन सूचनाओं का प्रबन्ध में प्रयोग किया जायेगा।

अध्याय – 8

पारिस्थितिकीय विकास

(**Eco – Development**)

8.1 पारिस्थितिकीय विकास हेतु दशकों से झीलों के किनारे निवास कर रहें ग्रामीणों की निर्भरता को कम करना आवश्यक है। पक्षी विहार धोषित होने पर ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधायें समाप्त हो गयी है। अतः झीलों पर उनकी निर्भरता कम करने हेतु समीपवर्ती ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु प्रयास किये जाने आवश्यक/ अपरिहार्य है। सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु निम्न गतिविधियों का प्रस्ताव किया जाता है –

1– समीपवर्ती ग्रामों में ई0डी0सी0 तथा पर्यावरण समितियों का गठन करना।

2– धूमरहित चूल्हों का वितरण करना।

3– गोबरगैस प्लान लगवाना।

4– सिंलाई मशीन का वितरण करना।

5– स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना, जैसे– स्वास्थ्य कैम्प लगवाना एवं निःशुल्क दवा वितरण करना।

6– उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी हेतु गोष्ठियॉ आयोजित कराना।

7– उन्नत नस्ल के दुधारु पशुओं के पालन हेतु प्रोत्साहित करना।

8– पशुओं का टीकाकरण कराना।

9– रेशम कीट पालन, सब्जी, फल एवं फूल कृषि आदि कार्य हेतु उन्नत प्रजाति के पौधों का निःशुल्क वितरण करना।

10– प्रवेश बिन्दु क्रियायें जैस– नाली, खण्ड़जों का निर्माण एवं मरम्मत, तालाब, कुओं तथा नालों की सफाई कार्य आदि करना।

11– मधुमक्खी पालन आदि लधु उद्योग स्थापित कराना।

8.2 उद्देश्य –

पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य होगें –

1– पक्षी विहार क्षेत्र के अन्दर तथा उसके चारों ओर रहने वाले लोगों की आजीविका में समुचित विकल्प यथा– मुधमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, सिलाई–कढ़ाई कार्य, सब्जी, फल एवं फूल कृषि कार्य आदि उपलब्ध कराते हुये इस प्रकार हस्ताक्षेप करना जिससे कि संरक्षित क्षेत्र के संसाधन सुरक्षित रह सकें।

2– जैव विविधता संरक्षण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना।

3– पक्षी विहार क्षेत्र एवं मानव के आपसी सघंर्ष को कम करना ।

4– पक्षी विहार क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भरता एवं दबाव को कम करना।

5– पक्षी विहार क्षेत्र के प्रबन्ध क्षमताओं में सुधार करना एवं संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों की सुरक्षा में वृद्धि करना।

6– पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों की नियोजन एवं सतत् विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की क्षमताओं में विकास करना।

7– पक्षी विहार क्षेत्र के चारो ओर जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुरुप भूमि उपयोग पद्धतियॉ/प्रवृतियों को बढ़ावा देना।

8.3 समस्यायें –

1– पक्षी विहार धोषित होने से पूर्व ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधायें पक्षी विहार धोषित हो जाने पर समाप्त हो गयी। पक्षी विहार क्षेत्र से मिलने वाले लाभ समाप्त हो जाने के कारण लोगों के मन में विरोधीभाव उत्पन्न हो गया है।

2– सामान्य पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम लोगो की क्षेत्रीय आवश्यकताओं और निर्भरता को ध्यान में रखे बगैर बनाये जाते रहे है। इस कारण पारिस्थितिकीय विकास में लोगों की सहभागिता पर्याप्त रुप में नही मिल पाती है।

3– पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम हेतु ग्रामीणों की आवश्यकता को जानकार ग्राम स्तर पर माइक्रोप्लान बनाकर कार्यक्रम का निरुपण एवं क्रियान्वयन किया जाता है परन्तु अन्य विकास योजनाओं से सम्बन्ध स्थापित न कर पाने के कारण इनमें वांछित समन्वय व लाभ नही मिल पाता है। अतः इसमें उपयुक्त सुधार की आवश्यकता है।

4– पक्षी विहार क्षेत्र से बाहर भूमि उपयोग का तरीका लगातार बदल रहा है जबकि पक्षी विहार क्षेत्र के अन्दर मामूली सुधार ही सम्भव हो सका है।

6– गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) की संख्या बहुत कम है तथा ग्राम स्तर पर उनके द्वारा समुदाय आधारित योजनाओं, क्रियाकलापों का अभाव है। जैसे– ग्राम स्तर पर माइक्रोप्लानिंग करके पारिस्थितिकीय विकास को प्रोत्साहित करना। इस दिशा में सुधार की आवश्यकता है।

8.4 रणनीति –

1– पारिस्थितिकीय विकास क्षेत्र – पक्षी विहार क्षेत्र से 5 किमी0 की दूरी तक के गॉव इस क्षेत्र में आते है।

2– ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना द्वारा पारिस्थितिकीय विकास – राज्य सरकार के पारिस्थितिकीय विकास प्रस्ताव द्वारा शासनादेश संख्या– U.O. 84/14-PBV-99-63/99 दिनांक 21.05.1999 द्वारा स्थानीय जनता द्वारा वन्य जन्तु एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जारी किया गया। क्रियान्वयन शासनादेश संख्या 1753/14-PBV-99-63/97 दिनांक 30.08.99 द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना है। उपरोक्त का विवरण परिशिष्ट संख्या 27 में दिया गया है।

3– माइक्रोप्लान निरुपण एवं क्रियान्वयन हेतु कार्मिकों का परीक्षण एवं विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण, कार्यशाला तथा गोष्ठियॉ अन्य सहभागियों हेतु आयोजित किया जाना है।

4– पारिस्थितिकीय विकास की अवधारणा को जैवविविधता की आवश्यकताओं के संगत बनाना आवश्यक है। इस हेतु जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत का सहयोग प्राप्त करना भी आवश्यक है। कार्यक्रम में ऐसी सरकारी / गैरसरकारी संस्थाओं का सहयोग आवश्यक है, जिनके क्रियाकलापों को सीधा सम्बन्ध जैवविविधता संरक्षण से है। अभ्यारण क्षेत्र के अन्दर व बाहर दोनो क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम पहचान, चयन तथा क्रियान्वयन द्वारा संरक्षण एवं विकास कार्यक्रमों को अधिकतम प्रभावी बना सकेगें।

5– संरक्षण कार्यक्रम की निरन्तरता एवं संस्थापना पर जोर दिया जाना आवश्यक है ताकि कार्यक्रम उन्नतशील रहें।

6– विविधता क्षेत्रों से हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था के उपाय किये जाने भी आवश्यक है।

7– ग्रामीणों की क्षमता इस प्रकार विकसित की जाये कि वे कार्यक्रम की योजना बनाने, कार्यान्वित करने लगातार संचालन में सक्षम हो, भले ही सरकारी आर्थिक सहायता बन्द हो जाये। स्वयं सेवी संस्थाओं की इससे सम्बन्धित योग्यता एवं क्रियाशीलता कार्यक्रम की पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुये कार्यक्रम की क्षमता का विकास कर सकते है।

8– वन्य जन्तु रोधी खाई तथा तारबाढ़ ग्रामीण सीमा तथा सड़कों के किनारे बनाना चाहिए।

9– पशुओं/पक्षियों का टीकाकरण कराने पर जोर दिया जाना चाहिए। यह कार्यक्रम 10 वर्षों तक लगातार चलाते रहना उचित होगा।

8.5 अनुश्रवण एवं मूल्याकंन –

समूचे परिक्षेत्र हेतु कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्याकंन हेतु कार्यक्रम विकसित करना तथा इस कार्य में स्थानीय लोगो की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अध्याय – 9

अनुसंधान, अनुश्रवण, मूल्याकंन तथा प्रशिक्षण

(**Research, Monitoring, Evaluation & Training**)

अनुसंधान (**Research**) –

शासकीय तथा गैर शासकीय संस्थाओं बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, डब्लू0 डब्लू0 एफ0, वाइल्ड लाइफ इन्स्टीच्यूट आदि से समय समय पर अनुसंधान कार्यों में सहयोग लिया जायेगा तथा उनके सुझावों के अनुसार आगे के विकास कार्य होगें। जलीय पादपों में प्रजातियों को सूचीबद्ध करने व उनके संतुलन को बनाये रखते हुए अनुसंधान होना है। विभिन्न जलीय जन्तुओं की समस्त प्रजातियों को भी सूचीबद्ध किया जाना है। स्थानीय पक्षियों के रहन–सहन, उनकी वंशवृद्दि व ह्रास, प्रवासी पक्षियों के रहन–सहन, स्वभाव, संख्या, आने–जाने के मार्ग व गंतव्य स्थलों के सम्बन्ध में व्यापक अनुसंधान के लिए अनेक विषयों पर कार्य अपेक्षित है।

9.2 प्रमुख अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य निम्न प्रकार से किये जाने प्रस्तावित होंगे :–

- झीलों के जल की गुणवत्ता व प्रदूषण पर भविष्य में सतत सतर्कता के साथ अनुसंधान आवश्यक है।
- जलकुम्भी व अन्य जलीय वनस्पतियों के झील के पानी/ पारिस्थितिकीय व पक्षियों पर प्रभाव व कुप्रभाव के सम्बन्ध में अध्ययन व अनुसंधान किया जाना है।
- कर्मचारियों, स्थानीय नेचर गाईड को ट्रेनिंग समय समय पर सेन्चुरी प्रबन्धन द्वारा दिया जायेगा।
- अधिकारियों, कर्मचारियों को पक्षी प्रबन्धन में विशेष प्रशिक्षण कराया जाना आवश्यक है। इस कार्य हेतु समय–समय पर विभिन्न संस्थानों में आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर पक्षी विहार प्रबन्धन की गुणवत्ता सुधारनी आवश्यक है।
- बर्ड फ्लू व अन्य बीमारियों के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षण जरूरी है।

- स्थानीय पक्षियों को प्रजातिवार पहचान कर सूचीबद्व करना एवं नियमित अन्तराल पर उनकी गणना पंजीबद्व करना।

- प्रवासी पक्षियों को प्रजातिवार पहचान कर सूचीबद्व करना एवं उनकी गणना समय समय पर अभिलेखित करना।

- प्रवासी पक्षियों के उद्‌गम स्थल व शरद् ऋतु के समापन पर उनके वापिस जाने के मार्ग का यथासम्भव पता लगाना। इस कार्य के लिए बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुम्बई तथा ऐसे अन्य संस्थानों की सहायता सक्षम उच्चाधिकारियों की अनुमति से ली जा सकती है।

- पक्षी विहार के जलीय पौध प्रजातियों तथा स्थलीय पेड़–पौधों को प्रजातिवार पहचान कर सूचीबद्व किया जाना।

अनुश्रवण (**Monitoring**) –

समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर, कराये जा रहे विभिन्न कार्यों का अनुश्रवण आवश्यक है। विभागीय अधिकारियों / कर्मियों के अतिरिक्त गैर सरकार संस्थानों से इन कार्यों में सहयोग लेने से परिणामों में पारदर्शिता व समयबद्धता लाना सम्भव हो सकेगा।

फील्ड कर्मचारियों को पर्याप्त रुप से निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के पालतू पशुओं आदि में फैलने वाली बीमारियों व उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समय–समय पर जानकारी के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक होगा। इन पशुओं के पक्षी विहार में जलस्रोत्रों पर जाने के कारण इनकी बीमारियॉ का आदान–प्रदान स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों में सम्भव है।

समय–समय पर पक्षी विहार क्षेत्र में प्राकृतावास व पक्षियों की संख्या के अनुश्रवण हेतु कार्य किये जायेगें –

1– पक्षी विहार की झीलों में जलीय वनस्पतियों की प्रजातियों को वर्गवार सूचीबद्ध कर अनुसंधान के आधार पर एकत्र कराये गये आकड़ों से उनकी संख्या/मात्रा व अनेक वर्षों में उनकी अपेक्षाकृत अन्य

प्रजातियों से तुलनात्मक विकास व मात्रा का अनुश्रवण किया जायेगा तथा किये गये अनुश्रवण कार्य को अभिलिखित कर आंकड़े संग्रहित किये जायेगें।

2– पक्षी विहार की झीलों में जलीय जीव–जन्तुओं; स्थानीय पक्षियों व प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों को वर्गवार सूचीबद्ध कर अनुसंधान के आधार पर एकत्र कराये गये आकड़ों से उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी व कमी तथा पक्षियों के प्रजनन आदि के सम्बन्ध में किये गये अनुश्रवण कार्य को अभिलिखित कर आंकड़े संग्रहित किये जायेगें।

3– पक्षी विहार के मानसून, तापमान, वर्षा आदि आकड़ों का अनुश्रवण कार्य को अभिलिखित कर आंकड़े संग्रहित किये जायेगें तथा पक्षी विहार पर उनके पड़ने वालें प्रभावों का भी अनुश्रवण किया जायेगा।

4– दिशा निर्देशों के अनुरुप आंकड़ों के संग्रहण के लिए नियमित रुप से अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रशिक्षण किया जायेगा।

5– स्थानीय लोगों, विधार्थियों, गैर–सरकारी संगठनों आदि को प्राकृतवास अनुश्रवण व जागरुकता अभियान सम्बन्धित कार्यों में सम्मिलित किया जायेगा।

मूल्याकंन (**Evaluation**) –

समय – समय पर कराये जा रहे विभिन्न अनुसंधान प्रयोगों के परिणाम का आंकलन कर उनका यथोचित मूल्याकंन किया जायेगा व तदनुसार पक्षी विहार के हित में योजनाओं का क्रियान्वयन दीर्धकालीन प्रबन्धन हेतु किया जायेगा।

प्रशिक्षण (**Training**) –

पक्षी विहार के अधिकारियों/कर्मचारियों में प्रशिक्षण का अभाव है, जिसे दूर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यशैली में एकरूपता एवं वनकर्मियों के गिरते मनोबल को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है।

सेवा काल प्रशिक्षण :–

प्रबन्ध योजना में दिये गये प्रस्तावों के क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध योजना अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार क्रियात्मक प्रशिक्षण (Functional Training) की आवश्यकता समझी गयी है :–

प्रशिक्षण का नाम	पद जिसे प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है					
	वन रक्षक / वन्य जीव रक्षक	वन दरोगा	उपवन रेंजर	क्षेत्रीय वनाधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1. वन्य जीव अपराधों में चालान करना	✓					
2. अपराधों की जॉच एवं चार्जशीट दायर करना /छापे		✓	✓	✓	✓	
3. आर्म्स ट्रेनिंग	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. अभिलेख तैयार करना (डाक्यूमेन्टेशन)		✓	✓	✓	✓	
5. सर्वे / डिमार्केशन	✓	✓	✓	✓		
6. प्राक्कलन बनाना		✓	✓	✓		
7. प्रोजेक्ट व क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं बनाना			✓	✓		
8. अनुश्रवण एवं मूल्याकंन			✓	✓	✓	✓
9. वाहनों का रखरखाव						
(क) दो पहिया	✓	✓	✓			
(ख) चार पहिया				✓	✓	✓
10. फ्लोरा व फौना आइडेन्टिफिकेशन	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11. फोटोग्राफी	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12. कार्यशाला / बैठक सेमिनार आयोजन				✓	✓	✓
13. पी0 आर0 ए0	✓	✓	✓			
14. माइक्रोप्लान बनाना				✓	✓	

प्रशिक्षण का नाम	पद जिसे प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है					
	वन रक्षक/ वन्य जीव रक्षक	वन दरोगा	उपवन रेंजर	क्षेत्रीय वनाधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
15. कम्प्यूटर प्रशिक्षण		✓	✓	✓	✓	✓

नोटः– फील्ड कर्मचारियों/अधिकारियों प्रशिक्षण के अतिरिक्त लिपिकीय कर्मचारियों का उनके दैनिक कार्यो में प्रशिक्षण कराया जाये, संगणक को डाटा प्रबन्ध कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण कराया जाये ।

औपचारिक प्रशिक्षण :–

अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न फार्मल प्रशिक्षण कराये जाने की आवश्यकता हैः–

क्रमांक	पद	प्रशिक्षण का नाम
1	प्रभागीय वनाधिकारी	(क) संरक्षित क्षेत्र/ प्रभाग में मानव संसाधन विकास
		(ख) प्रभाग में कार्मिक प्रबन्ध
		(ग) कम्प्यूटर
		(घ) कम्यूनिकेशन स्किल
		(ङ) जिले/प्रदेश में प्रचलित योजनाऐं जिनकों इकोडेवलैपमैन्ट के तहत आरम्भ किया जा सकता है अर्थात इनटेलिंग
2	उपप्रभागीय वनाधिकारी	(क) नेचर इन्टरप्रीटेशन
		(ख) नेचर कैम्प आयोजन, पक्षी अवलोकन
		(ग) आउटरिंग कार्यक्रमों का आयोजन
3	प्रधान लिपिक	(क) कार्यालय प्रबन्ध

प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना –

पक्षी विहार के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थापित वन चेतना केन्द्रों व व्याख्यान केन्द्रों को स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्रों के रुप में विकसित कर जीव–जन्तुओं (पक्षी व जलीय जीव), वनस्पतियों, परिस्थितिकी, भूक्षरण, प्रबन्धन सम्बन्धी अभिलेख, हर्बेरियम, माडल, चार्ट–पोस्टर, पत्रिकाओं, पुस्तकों व मल्डीमीडिया संसाधनों से सहयोग लेकर कार्य किया जाना उचित है।

अध्याय – 10

संगठन एवं प्रशासन

(**Organization & Administration**)

10.1 पार्वती अरगा पक्षी विहार रेंज सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर के प्रशासनिक नियन्त्रण में जुलाई 1998 से है। कार्य सम्पादन हेतु एक वन क्षेत्राधिकारी, 2 वन विद्, 2 वन्य जीव रक्षक, एक नाविक वर्तमान में कार्यरत है।

प्रभावी प्रशासन के दृष्टिकोण से प्रबन्धन के लिए पक्षी विहार को निम्नलिखित दो भागों में रखकर कार्य किया जाना आवश्यक होगा।

1– आन्तरक – क्षेत्र (**Core Zone**)

झीलों का वह क्षेत्र जिसमें वर्ष पर्यन्त पानी भरा रहता है। इस भाग में मुख्य रुप से सुरक्षा का कार्य किया जाना है। जलकुम्भी तथा इसी प्रकार की अन्य अवांछनीय जलवनस्पतियों को झीलों से समय–समय पर अनुश्रवण कर मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पूर्वी क्षेत्र, गोण्डा से अनुमति ले, इस उद्‌देश्य से हटाया जाना आवश्यक होगा कि इनके दबाव के कारण पक्षीयों के भोजन, शैवाल आदि जल वनस्पतियों पर कुप्रभाव न पड़े तथा उनके स्वतन्त्र व स्वच्छन्द विचरण में कोई बाधा न पहुँचे। सुरक्षा के उद्‌देश्य से निरन्तर गश्ती दल गठित कर नाव / मोटर बोट से नियमित गश्त आवश्यक होगी। विशेष रुप से माह अक्टूबर से माह मार्च के अन्त तक प्रवासी पक्षियों के विचरण अवधि में सर्तकता, गश्त, अनुश्रवण एवं तदनुसार रिपोर्टिंग आवश्यक है। इसमें सामान्य आगन्तुको/पर्यटको का प्रवेश बाधित रहेगा। अनावश्यक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2– वाह्य/प्राकृतवास सुधार क्षेत्र (**Peripheral/Eco-Improvement Zone**)–

इसमें सामान्य आगन्तुको/पर्यटको का प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। पक्षी विहार के झीलों के आन्तरक क्षेत्र के बाहर चारो ओर के क्षेत्र तथा पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के अन्तर्गत 10 किमी0 की परिधि तक आने वाले समस्त क्षेत्र इसके अन्तर्गत रखकर प्रशासन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। इस क्षेत्र के

अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में कोई भी गैरवानिकी कार्य प्रतिबन्धित रहेगा। निजी वृक्षों के कटान को पक्षी विहार को ध्यान में रखते हुये नियमित किया जाना आवश्यक होगा।

परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी नियन्त्रण व प्रबन्धन हेतु एक वन क्षेत्राधिकारी के साथ तीन वन विद्, छः वन्य जीव रक्षक, चार नाविक व चार नियमित चौकीदार की आवश्यकता है। प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर के क्षेत्राधिकार में पक्षी विहार रेंज है।

पक्षी विहार में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निम्न प्रकार हैः–

10.1.1 वन रक्षक –

1– तैनाती की बीट का मुखिया होने के नाते वह वन/वन्य जीव अपराध के नियंत्रण एवं अपराध घटित होने पर इसकी सूचना अधिकारियों को देने की कार्यवाही करना।

2– बीट में होने वाले समस्त विभागीय कार्य तथा इस हेतु प्राप्त धनराशि को श्रमिकों में वितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3– किये गये कार्यो की सूचना प्रत्येक पक्ष में अपने उच्चाधिकारियों को देना ।

4– समय–समय पर आवंटित किये जाने वाले कार्यो का उत्तरदायित्व सफलता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेगा ।

10.1.2 वन दरोगा/उपराजिक –

1– सेक्शन का मुखिया होने के नाते उस सेक्शन की बीटों में वन रक्षक द्वारा किये जाने वाले वन्य जीव एवं वानिक सम्बन्धी विभिन्न कार्यो को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेगा।

2– वन अपराधों की समयबद्ध जॉच करेगा।

3– सेक्शन में कराये जाने वाले विभागीय कार्यो का प्राकलन तैयार करेगा ।

4– अपराध की सूचना मिलने पर अपराधियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही करेगा।

5– वन सीमाओं का सर्वेक्षण करना तथा समय–समय पर निर्देशानुसार सर्वेक्षण सीमाकंन का कार्य करेगा।

10.1.3 क्षेत्रीय वनाधिकारी –

रेंज का मुखिया होने के कारण वह रेंज के कार्यो के क्रियान्वयन व वनों की सुरक्षा, प्रबन्धन तथा इससे सम्बन्धित कार्यों के लिये उत्तरदायी रहेगा।

10.2 प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु पार्वती अरगा रेंज के आस–पास 10 किमी तक निजी भूमि पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व वृक्ष संरक्षण अधिनिमय का नियन्त्रण शामिल किये जाने की आवश्यकता है। ताकि पक्षी विहार में तैनात कर्मचारियों को अपराधों में नियन्त्रण करने में कोई व्यवधान व असमंजस न रहें।

अध्याय – 11

बजट

(Budget)

पार्वती अरगा पक्षी विहार के वर्तमान प्रबन्धन व मूलभूत सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। धनाभाव के कारण इस दिशा में पर्याप्त कार्य किया जाना सम्भव नही हो सका है। पक्षी विहार के विकास हेतु अनेक कार्य इस प्रबन्ध योजना में प्रस्तावित किये जा रहें है। वार्षिक कार्य योजना हेतु 10 वर्ष का वर्षवार विवरण तालिका में दिया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है –

1– प्राकृतवास सुदृढ़ता एवं संरक्षण कार्य (**Habitat Consolidation and Protection Work**)–

पक्षी विहार की सीमा को मौके पर स्पष्ट व चिन्हित किया जाना है। सर्वे, सर्वेक्षण व बन्दोबस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुये सीमास्तम्भों व खाई आदि खुदान कर कार्य किया जाना है। पक्षी विहार की दोनो झीलों के चारो ओर किनारे की तरफ कच्चा मार्ग सुरक्षा, निरीक्षण व पर्यटको के उपयोग हेतु बनाया जाना है। इसके रख–रखाव की भी आवश्यकता होगी।

नावों के रखने के लिए स्थानो पर जेटी निर्माण कार्य; वाच टावर निर्माण कार्य आदि भी प्रस्तावित किये गये है।

जीप, मोटर साइकिल, नाव, बन्दूक/राइफल, कारतूस आदि की सुरक्षा कार्यों हेतु क्रय व रख–रखाव के लिए प्रस्ताव रखे गये है।

2– प्राकृतवास सुधार कार्य (**Habitat Improvement Work**)–

प्रजातियों का जीवन, पर्यावरण पर निर्भर करता है, जो कि विशिष्ट प्रजाति के लिए उसके उद्भव, विकास व आस–पास के वातावरण के प्रति उसके शरीर के अनुकूलन व अन्य गुणों पर आधारित रहता है। इस कार्य में प्रजातियों के विकास में दीर्धकालीन परिवर्तन होते है।

प्राकृतवास सुधार कार्य में वर्तमान अवस्था को बनाये रखते हुये उसमें किसी प्रकार का क्षतिकारक घटक न आने पाये इसका ध्यान रखते हुये उसमें सुधार की अपेक्षा की जाती है। प्रजातियों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि के लिए प्रयास करना, उनके धोसले व अण्डे देने के स्थानों की संख्या में यथासम्भव विस्तार करना, इसमें सम्मिलित रहता है।

पक्षियों के लिए विशिष्ट भोजन, उनकी सुरक्षा के लिए स्थल विशेष को ध्यान में रखते हुये संवर्धन व विकास कार्य किया जाना आवश्यका है।

पक्षियों के सम्भावित आखेट व हानिकारक रसायनों, कीटनाशकों आदि पर प्रभावी नियन्त्रण इनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

अवांछनीय स्थलीय झाड़ियों/धासों तथा जल की अवांछित वनस्पतियों का निराकरण किया जाना उचित होगा।

3– पारिस्थितिकीय विकास कार्य (**Eco- Development Work**)–

इस कार्य हेतु चयनित क्षेत्र के ग्रामों में इको विकास समितियों को गठन करके यथा सम्भव पारिस्थितिकीय विकास कार्य प्रस्तावित किये जायेगें। इको विकास समितियों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की एक सूक्ष्म योजना तैयार की जायेगी तथा उसी के अनुरुप विकास कार्य कराये जायेगें।

4– पारिस्थितिकीय पर्यटन विकास कार्य (**Eco- Tourism Development Work**)–

पर्यटको के लिए वर्तमान में कोई सुविधा नही है। पर्यटको को आकर्षित करने के लिए अध्याय–7 में प्रस्तावित कार्यों को कराया जायेगा।

5– जनजगारुकता, प्रचार एवं प्रसार कार्य (**Public-Awareness, Publicity and Extension Work**)–

जनसामान्य को पक्षियों / वन्य जीवों तथा पर्यावरण के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने हेतु साइनबोर्ड, पैम्फलेट, बुकलेट, माडल आदि के माध्यम से जागरुक किया जायेगा।

6– अनुरक्षण एवं पक्षी विहार का रख–रखाव कार्य (**Maintenance and upkeep of Sanctuary Work**)–

पक्षी विहार के क्षेत्रान्तर्गत स्थापित आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण व अनुरक्षण किया जायेगा। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों की सुविधाओं हेतु भी कार्य किये जायेगें। पक्षी विहार की सुरक्षा व अन्य कार्यों हेतु लगाये गये कर्मियों / कर्मचारियों के पारिश्रमिक आदि का व्यय भी किया जायेगा।

7– पक्षी विहार में आंकड़ों के संकलन हेतु कम्प्यूटर व अन्य कम्प्यूटर सम्बन्धित उपकरण; अनुसांधन कार्यों हेतु तापमापी, वर्षामापी, आर्द्रतामापी व अन्य यन्त्र/उपकरण; बाइनाकुलर, नाइटविजन डिवाइस आदि का क्रय किया जायेगा।

8– पक्षी विहार की सुरक्षा, निरीक्षण, गश्त आदि के लिए मोटर बोट, जीप, मोटर साइकिल व साइकिल का क्रय किया जायेगा तथा अनुवर्ती वर्षों में आवश्यकतानुसार उनके अनुरक्षण किया जायेगा। मोटर बोट, जीप, मोटर साइकिल के सुचारु रुप से चालन हेतु डीजल/पेट्रोल का प्राविधान भी बजट में किया गया है।

बजट प्राप्ति स्रोत –

पक्षी विहार क्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य रुप से भारत सरकार से वार्षिक कार्ययोजना एवं राज्य सरकार से जिला योजना तथा मनरेगा के अन्तर्गत प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न संस्थाओं से भी बजट प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग/संस्थाओं को उनके दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव बनाकर भेजने पर बजट प्राप्त किया जा सकता है –

1– भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से ।

2– राज्य सरकार द्वारा राज्य सेक्टर/जिला योजना के माध्यम से ।

3– राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के माध्यम से ।

4– डब्लू0डब्लू0एफ0 (W.W.F.) तथा अन्य विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा ।

5– राष्ट्रीय वेटलैण्ड डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा ।

6– उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा ।

7– पर्यटन विभाग– भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ।

8– पर्यावरण विभाग – भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ।

9– कैम्पा (CAMPA) भारत सरकार द्वारा ।

प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित कार्यो का विवरण –

1– अनावर्ती कार्य (**Non-Recurrent Activities**)

1– सर्वे सीमाकंन के अन्तर्गत – सर्वे सीमाकंन, पिलर निर्माण, सर्वे उपकरण का क्रय तथा सीमा सुरक्षा खाई का खुदान कार्य।

2– हैवीटेट इम्प्रूवमेन्ट के अन्तर्गत – झीलों के चारो तरफ खाली पड़ी भूमि पर स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों के भोजन एवं धोसले आदि हेतु फलदार एवं छायादार/शोभाकार पौधों का रोपण ।

3– एन्टी पोचिंग एक्टीविटीज के अन्तर्गत – कोर जोन में सुरक्षा हेतु मोटर बोट/फाइबर बोट का क्रय, पेरीफेरी जोन में सुरक्षा हेतु मोटर साइकिल का क्रय तथा जी0पी0एस0, नाईट विजन डिवाइस, बाइनाकूलर, ड्रैगनलाइट आदि का क्रय एवं कच्चे मार्ग का निर्माण

4– इन्फ्रास्टक्चर डेवलेपमेन्ट के अन्तर्गत – जेटी, वाच टावर, बाउन्ड्रीवाल, गेट निर्माण तथा अन्य यन्त्रों का क्रय ।

5– ईको पर्यटन विकास के अन्तर्गत – बर्ड इन्टरप्रिटेशन सेन्टर की स्थापना (किराये के भवन में), गोल झोपड़ी (हट) का निर्माण, मनोरंजन पार्क, सामुदायिक भवन तथा शौचालय आदि का निर्माण, एवं मॉडल, बैनर, चार्ट, झूला आदि का क्रय।

6– ईको विकास कार्य के अन्तर्गत – पक्षी विहार के समीप गॉवों में इन्ट्री प्वाइन्ट एक्टीविटी कार्य

7– जलीय / स्थलीय जन्तु प्रजातियों तथा पादप प्रजातियों को सूचीबद्ध करने हेतु उपकरणों/यन्त्रों का क्रय ।

2– आवर्ती कार्य (**Recurrent Activities**)

1– सर्वे सीमाकंन के अन्तर्गत – बाउन्ड्री पिलर / सीमा सुरक्षा खाई की मरम्मत व सफाई कार्य।

2– हैवीटेट इम्प्रूवमेन्ट के अन्तर्गत – जलकुम्भी तथा अभोज्य खरपतवार का हटाना ।

3– एन्टी पोचिंग एक्टीविटीज के अन्तर्गत – बोटमैन एवं सुरक्षा श्रमिकों का पारिश्रमिक पर व्यय, डीजल–पेट्रोल आदि पर व्यय, मोटर बोट/फाइबर बोट तथा मोटर साइकिल आदि की मरम्मत तथा सुरक्षा हेतु कच्चे मार्गो का रख–रखाव ।

4– इन्फ्रास्टक्चर डेवलेपमेन्ट के अन्तर्गत – जेटी, वाच टावर तथा आवासीय/अनावासीय भवनों का रख–रखाव ।

5– वन्य जीव गणना के अन्तर्गत – वन्य जीव गणना तथा गणना हेतु श्रमिकों के पारिश्रमिक पर व्यय।

6– कर्मचारियों एवं जन सामान्य के लिए जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

7– संचार साधन विकास के अन्तर्गत – वायरलेस सेटों के रख–रखाव व बैट्री का क्रय व अनुरक्षण पर व्यय ।

8– प्रचार–प्रसार हेतु होर्डिंग्स, साइनबोर्ड, हैण्डबिल, पम्फलेट, ब्रोसर आदि पर व्यय ।

9– कार्यालय कम्प्यूटर व अन्य व्यय ।

वर्षवार अनुमानित व्यय (**Yearwise Proposed Expenditure**)

धनराशि लाख रुपये में

क्र0 सं0	विवरण	वर्षवार अनुमानित व्यय										
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	योग
	अनावर्ती कार्य (**Non-Recurrent Activities**)											
1–	सर्वेक्षण सीमाकंन, बाउन्ड्रीपिलर की स्थापना तथा सुरक्षा खाई का खुदान											
1	सर्वेक्षण सीमाकंन एवं पिलर का निर्माण	1.50	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	**7.50**
2	सर्वे उपकरण का क्रय	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	**2.00**
3	सीमा सुरक्षा खाई का खुदान	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	**9.50**
2–	हैवीटेट इम्प्रूवमेन्ट – (झीलों के चारो ओर बाहर खाली पड़ी भूमि पर कार्य कराये जायेगें)											
1	स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों के भोजन एवं धोसले आदि हेतु फलदार एवं छायादार/शोभाकार पौधों का रोपण	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	**50.00**
3–	एण्टी–पोचिंग एक्टीविटीज –											
1	कोर जाने में सूरक्षा के क्रम में गश्त हेतु फाईबॅर बोट / मोटर बोट का क्रय	-	10.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	**26.00**

2	पेरीफेरी जोन में सुरक्षा के क्रम में गश्त हेतु मोटर साईकिल का क्रय	-	1.20	1.50	1.50	-	-	-	-	-	-	**4.20**
3	कोरजोन एवं पेरीफेरी जोन मे सुरक्षा हेतु जी0पी0एस0, नाइट विजन डिवाइस, बाइनाकुलर, ड्रैगनलाईट आदि का क्रय	0.50	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	**11.00**
4	झील की बाउन्ड्री पर सुरक्षा के लिए गश्त हेतु कच्चे मार्ग का निर्माण	-	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-	-	-	-	**20.00**
4–	आधारभूत संरचना विकास (इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट) –											
1	जेटी निर्माण	-	5.00	5.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	**16.00**
2	वाच टावर का निर्माण	-	5.00	5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	**20.00**
3	बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	-	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	**45.00**
4	गेट का निर्माण (रेंज परिसर)	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	**2.00**
5	यन्त्रों का क्रय (वर्षामापी / वायुमापक / आर्द्रता मापन / तापमान अधिकतम न्यूनतम इत्यादि)	-	2.50	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	**4.50**

5–	ईको पर्यटन विकास –											
1	बर्ड इन्टरप्रिटेशन सेन्टर की स्थापना किराये के भवन के भवन में	-	1.50	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**10.00**
2	पर्यटको के बैठने हेतु गोल झोपड़ी (हट) का निर्माण	-	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	**11.00**
3	मनोरंजन पार्क, सामुदायिक भवन तथा शौचालय आदि का निर्माण	-	15.00	15.00	5.00	-	-	-	-	-	-	**35.00**
4	बर्ड इन्टरप्रिटेशन सेन्टर, मनोरंजन पार्क व सामुदायिक भवन हेतु मॉडल, चार्ट, बैनर, झूला, आदि का क्रय	-	5.00	5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	**20.00**
6–	ईको विकास कार्य –											
1	समीप के गॉव में इन्ट्री पवाइन्ट एक्टीविटी के लिए कार्य – धूर्मरहित चूल्हा का वितरण, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना	-	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	**24.00**

7–	जलीय/स्थलीय जन्तु प्रजातियों तथा पादप प्रजातियों को सूचीबद्ध करने हेतु यन्त्रो/उपकरणों (डिजिटल कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, आदि) का क्रय	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	**3.00**
	योग (अनावर्ती कार्य)	**8.50**	**84.20**	**83.00**	**56.50**	**32.00**	**17.00**	**10.00**	**10.00**	**10.00**	**9.50**	**320.70**
	आवर्ती कार्य (**Recurrent Activities**) –											
1–	सर्वे सीमाकंन, बाउन्ड्रीपिलर की स्थापना तथा सुरक्षा खाई का खुदान											
1	बाउन्ड्री पिलर / सीमा सुरक्षा खाई का मरम्मत व सफाई कार्य	-	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	**21.00**
2–	हैबीटेट इम्प्रूवमेन्ट –											
1	जलकुम्भी तथा अभोज्य खरपतवार का हटाना (दोनो झीलों में 25–25 हे0 क्षेत्र में)	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	**39.00**
3–	एण्टी–पोचिंग एक्टीविटीज –											
1	कोर जोन एवं पेरीफेरी जोन में सुरक्षा हेतु बोटमैन एवं अन्य सुरक्षा श्रमिको के पारिश्रमिक पर व्यय	2.48	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	**36.48**

2	कोर जाने एवं पेरीफेरी जोन की पेट्रोलिंग टीम हेतु पेट्रोल आदि पर व्यय	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**10.00**
3	मोटर बोट/फाइबर बोट तथा मोटर साइकिल आदि की मरम्मत पर व्यय	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	**7.00**
4	झील की बाउन्ड्री पर सुरक्षा के क्रम में गश्त हेतु कच्चे मार्ग के रख – रखाव पर व्यय	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	**25.00**
4–	इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट –											
1	जेटी के मरम्मत पर व्यय	-	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**7.00**
2	वाच टावर के मरम्मत पर व्यय	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**10.00**
3	अनावासीय /आवासीय भवनों के मरम्मत तथा रंगाई पुताई आदि पर व्यय	-	2.50	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	**23.50**
5–	वन्य जीव गणना –											
1	वन्य जीव गणना (स्थानीय / प्रवासी पक्षियों तथा जलीय जन्तुओं की गणना, अनुश्रवण, पक्षियों के धोसले व उनके खान	0.20	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**7.70**

	पान, आदते व सवभाओ आदि सम्बन्धित आकड़ों को एकत्रित किया जाना)											
2	वन्य जीव गणना हेतु श्रमिको का पारिश्रमिक	0.24	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**7.24**
6–	कर्मचारियों एवं जनसामान्य के लिए जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**8.00**
7–	संचार संधान विकास –											
1	वायरलेस सेटों का रख–रखाव	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	**4.00**
2	वायरलेस सेटो हेतु बैट्री का क्रय एवं अनुरक्षण	-	0.15	0.05	0.05	0.20	0.05	0.05	0.25	0.05	0.05	**0.90**
8–	प्रचार प्रसार हेतु होर्डिग्स, साइनबोर्ड, हैण्डबिल, पम्पलेट, ब्रोसर आदि पर व्यय	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	**15.00**
9–	कार्यालय कम्प्यूटर व अन्य व्यय	0.13	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**8.13**
	योग (आवार्ती कार्य)	**12.80**	**19.40**	**18.80**	**21.30**	**22.70**	**26.55**	**27.05**	**27.25**	**27.05**	**27.05**	**229.95**
	कुल योग	**21.30**	**103.60**	**101.80**	**77.80**	**54.70**	**43.55**	**37.05**	**37.25**	**37.05**	**36.55**	**550.65**

रूपये पांच करोड़ पचास लाख पैसठ हजार रुपये मात्र